

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 13

नई बिल्ली, शनिबार, मार्च 31, 1979 (चैत्र 1 1901)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979 (CHAITRA 10, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it nay be filed as a Separate Compliation.

	विषय-	सूची	
	पृष्ठ		पृ•ठ
भाग 1—विष्य 1—(रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा भादेशों भौर संकल्पों से सम्बन्धित भश्चिमूचनाएं	181	जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के भादेश, उप-नियम भादि सम्मिलित हैं) भाग II—खण्ड 3——उन खण्ड (ii) → (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों	887
भाग 1—खण्ड 2— (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों भीर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी भक्तसरों की नियुक्तियों, पदोश्वतियों,		धौर (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के धन्तर्गत बनाए धौर जारी किए गए धादेश धौर प्रधिसूचनाएं	849
कृष्ट्रियों प्रादि से सम्बन्धित भिधमूचनाएं	395	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा भधि-	
माग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों ग्रीर संकट्षों से सम्बन्धित प्रधिसूचनाएं .	19	सूचित विधिक नियम घौर भादेश भाग III— ऋण्ड 1-महालेखापरीक्षक, संभ लोक सेवा भायोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रासयों	103
माग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई श्रफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भौर भारत सरकार के प्रधीन तथा संलग्त कार्यानयों द्वारा जारी की गई प्रधिसूचनाए	2445
छुट्टियों ग्रादि स सम्बन्धित ग्रधिसूचनाए . भाग IIवण्ड 1ग्रिधिनयम, ग्रध्यादेश प्रौर	251	मान III—-खण्ड ९एकस्व कार्यातय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई श्रधिसूचनाएं ग्रौर नोटिस	191
विनियम	-	भाग III—खण्ड 3—मुक्य भायुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई मधिसूचनाए	23
प्रवर समितियों की रिपोर्ट		भाग III—खण्ड 4—विधिक निकामों द्वारा जारी की गई विधिक श्रिधसूचनाए जिनमें श्रिष्ट- सूचनाएं, श्रादेश, विज्ञापन भीर नोटिस शामिल है	1121
को छोड़कर) केन्द्रोय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के ग्रन्तर्गत बनाए श्रोर		भाग IVगैर सरकारी व्यक्तियों गौर गैर- सरकारों संस्थानां क विज्ञापन बना नोटिस	37

CONTENTS

	(other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE 887
181	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministrics of the Government of India	
	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	849
395	PART II—Section 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	103
19	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2445
251	PART III—Section 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	191
-	Part III—Section 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	23
-	PART III—Section 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory	
	PART IV—Advertisements and Notices by Private	1121 37
	395 19	by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories). PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भाग । _खण्ड 1

PART I-SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवासय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1979

मं० 12-शेज/79~-राष्ट्रपति निम्नांकित ध्यक्तियों को उनकी। स्रिति श्रसाधारण विभिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "परम विभिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :--

- लैफ्टिनेन्ट जनरल दयाल चन्द सचदेव (एम० श्रार० 334) ए० वी० एम० एम०, ए० एम० सी० (सेवा-निवृत्त)।
- लैफिटनेन्ट जनरल बिण्वायोल् दुर्गा प्रसाद राव (एम-म्रार० 247), ए० एम० सी० (सेवा-निवृत्त)
- 3. वाइम एडमिण्ल नर पान दत्ता ए० वी० एस० एम० (00024 मी)
- া. एयर मार्णल दिलबार्गामह ए० बी० एम० एम०, बी० एम (2998), उड़ान (पायलट) ।
- एयर मार्थल ईदनदास वरहोमल सभाने, ए० घी ० एस० एस० (2607) बैमानिक इंजीनियरी इलैक्ट्रानिक, (सेवा-निकृत)।
- G. में जर जनरून विजय चन्द्र खन्ना (श्राई० मी० 1061), सिंगनल्स
- 7. में पर जनरल सन भूर प्यारा (ग्राई० सी० 1479), ग्राटिनरी
- 8 मेजर जनरल भतनाम सिंह श्रोपल (श्रा०ई सी० 1572), श्राटिलरी
- मंजर पतरण (ष्टुमारी) गर्दरु एलिस राम (एन० ग्रार०-680881), एम० एन० एम० (सेवा-नियुत्त) ।
- 10. मेजर जनरल मोहन देव मेहरा (डी० धार०-1007), धार्मी ढेन्टल कोर (सेवा-निवृत्त) ।
- मंजर जनरल महेण चन्द्र गुप्त (एम० ग्रार० 419), ए० एम० सी० (संवा निवृत्त)।
- 12. सर्जन रियर एडमिरल जैरल्ड अस्टिन कैनेय पैक (75007 डब्ल्यू)
- 13. एयर वाईम मार्शल हरकण्ण लाल कपूर, ए० बी० एम० एम० (2165) प्रणागनिक।
- 14. एयर ब्राइम मार्गन बैट्टक्कोरमकनकाव णिवराम नारायनन्, ए० बी० एम० एम०, बी० एम० एस० (3549) श्रैमानिक इंजीनियर (इलैक्ट्रानिक)।

मं ० 13-प्रेक/79---राष्ट्रपति निस्तांकित व्यक्तियों को उनकी प्रसाधारण विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "प्रतिविधिष्ट नेवा मैडन" प्रदान करने का सहर्ष धनुमीदन करते हैं :---

- त्रिगेडियर द्वयाथुमगलम् नारायनन् रामादोस (स्राई० सी० 1583)
 एस० एस० सिनगल्स ।
- 2. क्रिगेडियर सुवर्धन लाल मलहोत्रा (श्राई० सी० 4789). इन्फैन्ट्री
- 3. ब्रिगेडियर मोहिन्द्र पाल मिह मन्न (श्राई० सी० 4907), गार्डस
- ा. ब्रिगेडियर मुरेण चन्द्र मिश्र (श्राईं० मी० 6309) जे० ए० जी० विभाग।

- 5 त्रिगेडियर सालिग्राम गंगाधर शास्त्री कृष्णाम् ति (ग्राई० सी०-5889) इंजीनियर्स ।
- 6 क्रिगेडियर श्रम्णाचल बालमुक्रमणियन (श्राई० मी० 5062) सिगनल्म।
- 7. ब्रिगेडियर निरमल मोंधी (श्राई० सी० 6130), श्राटितरी
- 8. ब्रिगेडियर मनोहर लाल गर्ग (ब्राई० मी० 9162), ई० एम० ई०
- श्रिगेडियर क्रेन्सिम रेगिस कम्पोम (ब्राई० मी० 5566) बी० ए स० एम० महास (सेवानिश्रुष्त)।
- 10. किमेडियर इकबाल सिंह दिलों (श्राई० सी० 1544), श्रार्गर्ड कोर (सेया-निवृत्त) ।
- ब्रिगेडियर पृथ्वीराज गुलाटी (डी० ग्रार० 10012), ग्रामी डेल्टल कोर (सेबानिवृक्ष)।
- 12. क्रिगेडियर वामप्पानावारा ध्रुवा (ग्राई० सी० 4225), ई० ०म० ई० (सेवा-निवृत्त)।
- 13. क्रिगेडियर मित्र चरन लाल मिलक (ग्राई० सी० 6324), इंजीनियर्स (सेवा-नियुत्त)।
- 14. क्रिगेडियर कुन्डुवरा संकरन कुट्टी (वी 41), श्रारः वी० सी० (मरणोपरांत)।
- 15. कमांडोर केवल कृष्ण नैयर (00054 वाई)
- 16. कमोडोर स्रोम प्रकाण शर्मा, बी० एम० एम० (60029 बी०)
- 17. एयर कमोडोर मुल्क राज (3518), विकित्भा
- 18 एयर कमो**डोर जा**र्नी विश्वियम ग्रीन, वीर चक्र, वी० एम०, (4093), उड़ान (पायलट)।
- 19. एयर कमोडोर मान सिंह, बी० एम०, बी० एस० एम० (4094), उद्यान (पायलट)।
- 20. एयर कमोद्योर कंत्रल कृष्ण मिलक, बी० एम० (4335), उड़ान (पाप्रलट)।
- एयर कमोडोर मंजीत सिंह जज, बीठ एस० एम० (3709), परि-भारिकी।
- 22. कर्नेल जार्ज विक्टर इयामानुप्रल मसीलामानी (ग्राई० मी० 4522), सिख लाईट इन्फैन्ट्री ।
- 23. कर्नल विन्बर डेविड (ग्राई० सी० 5110), सिगनल्स।
- 2.1. कर्नल महेन्द्र मिंह सोदी (म्राई० मी० 4459), बी० एम० एम० गार्डस ।
- 25. कर्नल सत्यम्ति नारायण धनरेश (प्राई० मी० 5179), सिगनस्स ।
- 26. कर्नम सम्सी इन्द्र गिह् बाल (ग्राई० सी० 6158), श्राटिलरी।
- 27. कर्नन विद्याधर विष्ण् धावले (प्राई० सी० 6246), प्राटिलरी ।
- 28. कर्नल राम पाल सिंह (श्राई० सी० 5254), जाक राइफल्स ।
- 29. फर्नल बेद प्रकाण भमीन (आई० सी० 6903), इन्फैल्ट्री (मेया-निवृत्त) ।

- 30. कनैल हस्त बहादुर राय, (प्राई० सी० 4053) इस्फैन्ट्री (सेथा- तिश्वत्त) ।
- 31. कर्नल क्रुपाल सिंह बरार (ग्राई० सी० 4099), इन्फैन्ट्री (गेवा-निवृत्त) ।
- 32. कर्नेल नाहर सिंह राठौर (श्राई० मीं० 5125), ए० एस० सी० (भरणोपरांत) ।
- 33. नैप्टेन गुलाब मोहनलाल हीरानन्दानी एन० एम० (00123 भी), प्राई० एन०।
- 34. भैप्टेन सुम्मल जैन, एन० एम० (००१३० इन्ह्य), प्राई० एन०
- 35. प्रुप कैंग्टेन कुमाराप्लायम रामासुक्रागनयन नटराजन बीठ एम० (4270) वैमानिक इंजीनियरी (यांद्रिक) ।
- 36 ग्रुप में प्टेन क्षिरीद कृष्ण सैन, बीठ एम० (4495), उड़ान (पायलट)
- 37. विग कमांबर प्रप्पाकुदल जयारमन श्रीनिवासन, वी० एम० एम० (4933), वैमानिक इंजीनियरी (पांत्रिक)।
- এ৪. स्कबाडून लीडर सिवारामकृष्ण चन्द्रमौली (6571), बैमानिक इंजीनियरी (ছর্জীक्ट्रानिक) ।

सं० 14-प्रेज/79--राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उनकी उच्चकोटि की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्य में "विशिष्ट रीवा मैडल" सह्यं प्रदान करने का प्रमुमोदन करते हैं:---

- कर्नस्य बलबन्त रैणुकादाम मुध्ये (माई० सी० 3516), ए० श्री० सी० (सेथा-पिक्स) ।
- 2. कार्यकारी कैप्टेन जार्ज कैलक, एन० एम०, (000303 एन)० भाई० एन०।
- ग्रूप कैंग्टेन, सूर्य देव पाठक (3988), लेखा ।
- लैफिटनेस्ट कर्नल जगजीत सिंह चीमा (ब्राई० सी॰ 6422), ब्रार्मर्ड कोर।
- लैपिटनेन्ट कर्नल मलदेव सिंह (श्राई० सी० 12337), इत्फेन्ट्री ।
- 6. नैपिटनेस्ट फर्नल ग्रमरजीत सित्र चाहल (एम० श्रार० 586), ए० एम० सी०।
- 7. नैफ्टिनेन्ट कर्नेस हर्कुष्ण लाल खेर (एम० भ्रार० 1007), ए० एम० सी०।
- लैफ्टिनेस्ट फर्नल यचन सिंह सिराही (श्राई० सी० 12108), इन्कैन्ट्री
- 9. सैपिटनेन्ट कर्नल जवाहर लाल मलाहोत्रा (श्राई० सी० 10109) इन्फेन्ट्री।
- 10. लेफ्टिनेस्ट कर्नल राम नाथ बक्गी (ग्राई० सी० 7746), इन्कैन्ट्री
- लीफिटनेन्ट कर्नेल पंजाब सिंह धनखेर (आई० सी० 12135), इन्फेन्ट्री।
- लैफ्टिनेस्ट कर्नल दीवान चस्य सारस्वत (ब्राई० गी० 12110), राजपूताना राहफल्म ।
- लैफ्टिनेस्ट कर्नल बीरेन्द्र सिंह डोगरा (ब्राई० गी० 11540), इन्फैन्ट्री ।
- 14. लैफ्टिनेन्ट कर्नल (कुमारी) क्ष्याल और सन्धु (एम० श्रा^र० 1171), ए० एम० सी०
- 15. लैफ्टिनेन्ट कर्नेल मतीण चन्द्र टक्माली (श्राई० मी० 6652), ई० एम० ई०।
- लैफ्टिनेन्ट वर्नेल मसीण कुमार ईस्सर (ग्राई० मी० 11535), कुमायं।
- 17. **लैफ्टिनेंट** कर्नेल एडबिन एथोनी जिन्नपा नायहु (ब्राई० मी०), शाटिलरी।

- 18. लैपिटनेन्ट कर्नल समर सिंह चल्देल (ब्राई० सी० 12013), जाक राईफल्स ।
- 19 लैफ्टिनेन्ट कनेल मुझीर चन्द्र बास (एम० ग्रार० 2481), ए० एम० मी०।
- लैपिटनेन्ट कर्नल कल्यान ब्राता राय (एम० श्रार० 780), ए० एम०सी० ।
- 21. लैंपिटनेन्ट वर्नब कुनबीर सिंह सेठी (ग्रा**र्द**० सी० 13097), इंजीनियसं।
- 22. कमांडर संशीकान्त पुरुषात्तम जाएरी (40151एच०), ग्राई० एन० ।
- 23 कमाडर नारायणन बासगोपाल सरमा (50128 ए०), श्राई० एस० ।
- 24. कमाडर बीरेन्द्र कुमार मोहन (60056 ग्रार) श्राई० एन० ।
- 25. कमांडर वर्षीम कायथरा (६००४६ एच०), ग्राई० एन० ।
- 26 मर्जन कमाडर प्रफुल्न चन्द्र मंडल (75066 बी), ग्राई० एन० ।
- 27. विग भगांडर मतवन्त सिंह, बी० एम० (5010), उड़ान (पायलट)।
- 28. विग भमाखर कुन्नाथोडाथिन संजीवन (5616) **वैमानिक इं**जीनियरी (सांत्रिक)।
- विग कमाइर देव नाथ राठौर, बीर चन्न (5780), उड़ान (पायलट) ।
- 30. विग कमाडर प्रादवेन्द्र शिह् (6394), वैमानिक इंजीनियरी) (पांद्रिक)।
- 31 मेजर मोहन सिंह बाध (म्राई० सी० 12634), म्राटिलरी ।
- 32. मेजर (कुमारी) कमला देशे गुरुन्ता (एन० श्रार० 12788), एम० एन० एम० ।
- 33 मेजर नुपेन्द्र नाथ गुप्त (टी० ए० 40522), इन्फेन्ट्री (टी० ए०) I
- 34 मेजर गोना राम चौधरी (स्राई० सी० 19687 के०), इंजीनियर्स ।
- 35. मेजर लोवा कृष्य विज (श्राई० सी० 19830 ए**ल०), इन्जी**नियर्स ।
- 36. स्कवाइन लीडर णिशिर कुमार चन्थॅदी (5814), पारिभारिक ।
- 37. कैंग्टन मुबीर (म्राई० मी० 33195) भ्राटिलरी ।
- 38. जे० सी० 37656 रिसालदार मेजर फतेह माहम्मद खान, 61 कैबेलरी।
- 39 जे० मी० 25924 सूबेदार मेजर कारगृत छोमपेल, लक्षाक स्काउटस (संज्ञा-निवृत्त) ।
- 10 जि० सी० 71117 सुबोदार ई० जी० सैम्य्स, शियनत्स ।
- 41 ने० मी० 78445 नायत्र मृत्रेदार गोरीपित जगतमोहन राव, इंजीनियर्स ।
- 42 208980 वारंट घ्रफसर कृष्णा आयर नाथरायनन व्यन्स्त्रूमेंट फिटर (मरणोपरान्न)।
- 43. 236735 जनियर वारंट श्रक्तमर गोपी चन्द्र छाबङ्ग, राजार फिटर।
- 44. 283406 कारपोरल **चन्द्र** मोहन पिल्ले वर्कणाप फिटर (सी० ए**ण्ड** एस० एस० इंब्ल्यू०)।

खोम रा**ज गृ**प्त, राष्ट्रपति के उप-गवित

्राष्ट्र मंत्रालय

कार्मिक धौर प्रशासनिक मुधार विभाग नईदिल्ली,दिनांक 31 मार्च 1979

नियम

मं० 17011/2/79-ए० श्राई० एस० (IV)--भारतीय यन सेया में रिक्तियों को भरने के लिए 1979 में संघ लोक सेवा धायोग द्वारा ली जाने वासी प्रतियोगिता परीक्षा के नियम श्राम जानकारी के लिए प्रकाणित किए जा रहे हैं:---

- 1. इस परीक्षा के परिणास के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस से निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदयारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जायेगे।
- 2. संघ लोक सेवा श्रायोग यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट-1 में निर्धारिम ढंग से लेंगा।

परीक्षा की नारीख और स्थान भ्रायोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

- 3. उम्मीदबार या तो:--
- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख्र) नेपाल की प्रजाहो, या
- (ग) भूटान की प्रजाहो, या
- (घ) ऐसा तिन्यती णरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत झा गया हो। या
- (ङ) ऐसाभारत मुलक व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, अर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांड, संयुक्त गणराष्य, तजानिया, जाम्बिया, मलाभी जेरे इधियोपिया के पूर्वी श्रफीकी देशों, भीर वियतनाम में श्राया हो।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) श्रीर (इ) वर्गी के श्रन्तर्गत श्राने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण-पद्म होना चाहिए।

ऐंगे उम्मीदकार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जासकता है जिसके बारे में पात्रना प्रमाण-पत्न प्राप्त करना प्रावण्यक हो किन्तू उसकी नियुक्ति प्रस्ताय भारत सरकार हारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण-पत्न जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

- 4. (क) उम्मीदनार के लिए ग्रावश्यक है कि उसकी ग्रायु 1 जुलाई, 1979 को 20 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 26 वर्ष न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जुलाई, 1953 से पहले ग्रीर 1 जुलाई, 1959 के बाद नही हुआ हो।
- (का) ऊपर निर्धारित प्रधिकतम श्रायु में निम्नलिखित स्थितियों में कृट दी जा सकती है:---
 - (i) यांत उम्मीदघार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष;
 - (ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान (भ्रव बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो भीर वह 1 जनवरी, 1961 श्रीर 25 मार्च, 1971 के बीच की श्रवधि के टौरान प्रवजन कर भारत भाषा हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;
 - (iii) यदि उस्मीदवार अनुसूचिन जाति प्रथवा अनुसूचिन जन जाति का हो श्रीर वह 1 जनवरी, 1964 श्रीर 25 मार्च, 1971 के बीच की स्रवधि के दौरान भूनपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से प्रनजन कर आया वारतिक विस्थापित व्यक्ति हो तो श्रिधिक में प्रिधिक श्राठ वर्ष;
 - (iv) यदि उम्मीदवार ग्रन्त्वर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन । नत्रमधर 1964 की बा उसके बाद श्रीलंका से मुलक्ष्य से वस्तृतः

- प्रत्यावर्तित होकर भारत में स्राया हुन्ना या श्रीने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्तिहो तो भ्रधिक से श्रधिक तीन वर्ष;
- (४) यदि उम्मीदिवार अनुसूचिन जाति श्रथया अनुसूचित जन जाति का हां और साथ ही श्रमतूबर 1964 के भारत श्रीलंका करार के प्रधीन 1 नवम्बर 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से प्रत्यावितित होकर भारत में श्राया हुआ या आने वाला मूल रूप में भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;
- (vi) यदि उम्मीदवार 1 जून 1963 को या उसके बाद अर्मा से वस्तुतः प्रत्यावितित होकर भारत श्राया हुआ भूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो प्रधिक से प्रधिक तीन वर्ष;
- (vii) यदि उम्मीदवार भ्रनुभूचित जाति अथवा श्रनुभूचित जन जाति का हो श्रीर साथ ही 1 जून 1963 को या उसके बाद बर्मा से तस्तृतः प्रत्यावित्त होकर भारत में भ्राया हुन्ना मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो भ्रधिक मे अधिक आठ वर्ष;
- (viii) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में प्रधिक से अधिक तीन वर्ष नक जो किसी विदेशी देश के माथ संघर्ष में अथथा अशांति-ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलाग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए;
 - (ix) रक्षा सेयाग्रों के उन कर्मचारियों के मामले में प्रधिकतम प्राठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देण के साथ मंघर्य में ग्रथवा श्रणातिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्ग्वाई के दौरान विश्वताग हुए तथा उसके परिणाम-स्थारण नियुक्त हुए हों ग्रीर जो अनुसूचित जातियों या श्रनुसूचित जात-जातियों के हैं:
 - (X) सीमा गुरक्षा बल के ऐसे कर्सचारियों के मामले में प्रधिकतम तीन वर्ष तक जो 1971 में भारत पाकिस्तान संवर्ष में विक्लांग हुए और उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए हों; और
 - (Xi) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष नक जो वर्ष 1971 में हुए भारत पाकिस्सान संघर्ष में विकलांग हुए उसके परिणामस्वरूप निर्मृक्त ुए हों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हों।
- (Xii) यदिकोई उम्मीदवार वास्तिविक रूप से प्रत्यावितित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पार पत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया प्रापातकाल का प्रमाण-पद्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहुले भारत नहीं भाया है, तो उसके लिए ग्रिजिक से श्रिधिक तीन वर्ष।
- (xiii) यदि उम्मीववार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया उगाडा और तेंजानिया सयुक्त गणराज्य से प्रवजन किया हो या जांबिया, मलाबी, जेरे और इधियोपिया से प्रवयायनित हो तो श्रीधक से प्रक्षिक तीन वर्ष;
- (ग) ्मा उम्मीवनार जा निर्णायक नारील अर्थात पहली जुलाई, 1979 को निर्धारिस उपरी आयु-सीमा के श्रधिक श्रायु का हो जाता है और जो श्रान्तरिक मुरक्षा अनुरक्षण श्रधिनियम के श्रन्तर्गन निरुद्ध किया गया था या 25-6-75 तथा 21-3-77 के बीच के श्रान्तरिक आपात स्थिति को श्रयि के दौरान श्रिकिश्वत राजनैतिक काथ-कलाणों या नक्कालीन प्रतिबन्धित सगठनों से सम्बन्धित होने के कारण भारन रक्षा तथा श्रान्तरिक मुरक्षा अधिनियम 1971 या उसके श्रन्तर्गत बने नियमों के श्रधीन गिरफ्तार या कैंद्र हुआ था श्रीर इस प्रकार उकत परीक्षा में प्रवेण हेतु निर्धारित श्रायु-सीमा के श्रवर होने हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक विया गया था इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पाक होगा कि जून, 1975 और मार्थ 1977 के बीच की श्रवधि के दौरान बहु परीक्षा में कम से कम एक बार भी नहीं बैठ गाया है, श्रयीत (उसने) परीक्षा छोड़ दी हो) जिसके लिए यह हुर प्रकार से पाक था।

हिप्पणी :──**इस** रियायन **के श्र**स्तर्गत जो कि 31-12-79 के बाद होने याली किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य नहीं होगी। एक से अधिक श्रवगर नहीं दिया जाएगा। उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित शायु-मीमा में किसी भी स्थिति में छुट नहीं दी जाएगी।

5. उम्मीदबार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्मात किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुवान आयोग अधिनियम 1956 के खण्ड 3 के अधीन विण्ववि-विद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से प्राप्त वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू-विज्ञान गणिल, भौतिको और प्राणि विज्ञान में से एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि विज्ञान या इंजीनियरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

नोट-I कोई भी उम्मीक्ष्तार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दें दी है, जिसके पास करने पर वह श्रायोग की परीक्षा में बैठने का गौक्षिक रूप से पास्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीक्षार जो ऐसी श्रहंक परीक्षा में बैठने का ६च्छ क है, श्रायोग की परीक्षा, में प्रवेण पाने का पास नहीं होगा ।

नोट-II विषेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पान्न मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अहंताओं में से कोई भी अहंता न हो बशरें कि उस उम्मीदवार ने अन्य मंग्याओं आरा मंनालित कोई ऐसी परिकाण पास कर ली जिनके स्तर को देखने हुए आयोग उसका परीक्षा में प्रवेश हैना उसित समझें।

- उम्मीदवारों का ब्रायोग के नोटिस के पैरा 5 में निर्धारित फीस ब्रवस्य देनी होगी।
- 7. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या ध्रस्थायी रूप से काम कर रहे ही चाह वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न ही पर आकम्मिकया दैनिक दरपर्नियुक्त न हुए हो उन सब को ध्रपने कार्यालय/विभाग के प्रधान की छोर से आयोग के नोटिस के छनुबन्ध के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के ध्रनुसार ''अनापिन प्रमाणपत्न' प्रस्तुत करना होगा।
- थरीक्षा में बैटने के लिए उम्मीदवार की पालता या भपाकता के बारे में भाषोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- 9 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तक तक नहीं बैठने विधा जाएगा जब तक कि उसके पाम प्रायोग का प्रवेश प्रमाण-पन्न (साटिफिकेट प्राप एड-मिणन) नहीं होगा।
- 10. यवि किसी उम्मीदवार को श्रायोग श्रारा निम्नलिकित बातों के लिए दोषी पाया हो या टोषी श्रोषित कर विया गया हो कि उसने .---
 - (i) किसी भी प्रकार से भ्रपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, भ्रथवा
 - (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, ध्रथवा
 - (iii) किसी श्रन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, प्रथवा
 - (iv) जाली प्रमाण पत्न या ऐसे प्रमाण पत्न प्रस्तुत किए हैं जिन में तथ्यों को विगाश गया हो अथवा
 - (v) गलन या झटे बक्तब्य विए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया के प्राथवा
 - (vi) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भ्रन्य श्रनियमित अथवा भनुचित उपायों का महारा लिया है. अथवा
 - (vii) परीक्षा के समय अनूचित तरीके अपनाए हों, अथवा
 - (viii) उत्तर पुस्तिका (क्यों) पर भ्रमंगत बाते लिखी हो जो श्रक्लील भाषा में या श्रम¢ चाणय की हों, भ्रथवा
 - (ix) परीक्षा भवन में भौर किसी प्रकारका कुर्ध्यवहार किया हो, मथवा
 - (x) परीक्षा चलाने के लिए श्रायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परिशान किया हो या श्रन्य प्रकार की शारीरिक क्षिति पहुँचाई हो, अथवा

- (xi) उपर्युक्त खण्डों में उहिलाखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपरा-थिक अभियोग (किमिनल प्रासीक्ष्यूणन चलाया जा सकता है भीर उसके साथ हो उसे:--
- (क) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदबार है, बैठने के लिए प्रमर्थ उष्टराया जा सकता है, प्रयथा
 - (ख) उसे प्रस्थायी रूप से प्रथया एक विनिदिष्ट प्रविध के लिए
 - (i) भ्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा श्रयवा चयन के लिए,
 - (ii) केन्द्रीय सरकार ब्रारा अपने श्रधीन किसी भी नौकर्ग से श्रपवित्रत किया जा सकता है श्रीर
- (ग) यवि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरक्ष उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
- 11 जो उम्मीववार लिखिन परीक्षा में उतन न्यूननम अर्हक ग्रंफ आप्त कर लेगा जितन अध्येग अपने निर्णय में निश्चित करें तो उसे श्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेनु साक्षारकार के लिए श्वाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मनानुमार अनुसूचिन जासियों अनुसूचिम जन जानियों के उपमीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्सियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ठील वेकर अनुसूचिन जातियों या अनुसूचिन जन जातियों के उपमीदयारों की व्यक्तिस्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए, बुलाया जा सकता है।

12 परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदिवारों के द्वारा प्राप्त कुल आंकों के आधार पर योग्यता कम से उनकी सूची बनायेगा और उसी कम से उन उम्मीद-बारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उसकी इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए अनुशंना की जायेगी। ये नियुक्तियां जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है उसको देख कर होंगी।

परन्तु यदि सामान्यस्तर से अनुमूजिन जातियों और अनुमूजित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संध्या तक अनुमूजित जातियों अथवा अनुमूजित जन जातियों के उम्मीदिवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कभी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट तेकर, चाहे परीक्षा के योग्यता अम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो नियुक्ति के लिए उनकी अनुसंसा की जा सकेगी अलर्ट कि उम्मीदिवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों।

- 13 प्रत्यंक उम्मीदवारको परीक्षानत की मुचना किन छन में श्रीरिक्य प्रकार दी जाए इसका निर्णय श्रामीन स्वयं करेगा। श्रामीन परीक्षानत के बारेमें किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।
- 14 परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का श्रीधकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संपुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्वकृत की दृष्टि से इस मेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।
- 15. उम्मीववार को मानसिक और शारीरिक वृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा णारीरिक वेष नहीं होना चाहिए जिसमें वह सम्बन्धित मेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्लव्यां की अशलताबुधिक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि बहु इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर मकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग झारा कृत्वाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा जरायी जा सकती है। उम्भीदवार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकिरसा बोर्ड की कोई शुरूक नहीं देना होगा।

होट:--कहीं निराग न होना पड़े ध्मलिए उम्मीदवारों को सलाह शे जाती हे कि वे परीक्ष: में प्रवेश के लिए भ्रावेदन-पत्न भजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा श्रधकारी से भ्रपनी जांच करवा लें। निम्बित से पहले उम्मीद्यारों की किम प्रकार वी उल्हरी जांव होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किम प्रकार का होता चाहिए इसके द्योरे इन नियमों के परिणिष्ट III में दिए गए हैं। रक्षा सेनाओं के भतपूर्य विकलांग सैनिकों वो और 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मृक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की सेवाओं वी आवश्यकताओं के अनुसग डाक्टरी जांच के स्तर में छूट ही आएगी।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने नी श्रीर महिला उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलने की स्वास्थ्य की दृष्टि में अमना की गर्रे को श्रीर विशेषत स्थान ग्राकष्टित किया जाता है।

- 16 ऐसा कोई पुरुष/स्बी
- (क) जिसने किसी ऐसी स्क्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले मे जीवित पति/पन्ती हो, या
- (ख) जिसकी पत्नी/पित जीवित होते हुए उसने किसी स्क्री/पुरुष से विवाह किया हो

उक्त सेवा में नियुक्ति का पास नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से स्पष्ट हो, कि ऐसे पुरूष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो उन पर लागू वैयक्तिक कानून के ब्रधीन ऐसा किया जा सकता हो धौर ऐसा करने के ब्रन्य ब्राधार हों हो इस उम्मीवतार को इस नियम से छूट दे सकती है।

- 17. उम्मीदनारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले ही हिन्दी का कुछ कान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों की सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पढ़ती है।
- 18. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त क्योरा परिणिष्ट II में दिया गया है।

(के० एस० नेगी) भ्रवर सचिव

परिशिष्ट— 1

खण्ड---- 1

परीक्षा की रूपरेखा

भारतीय वन सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:--

- (क) लिखित परीक्षाः---
 - (1) दो भनिनार्य विषय भर्थात मामान्य भ्रंग्रेजी भ्रौर सामान्य ज्ञान [नीचे खण्ड-II का उपखण्ड (क) देखें 1]

पूर्णीक 30

(2) निम्नलिखित खण्ड-II के उपखण्ड (ब) में दिए गए बैकलिपक विषयों में से चुने गए विषय। इस उपखण्ड की व्यवस्था के श्रश्चीन उम्मीदवार उतमे से कोई दो विषय लें।

पूर्णीक 400

(ख) ऐसे उम्मीदवारों का जा ग्रायोग क्वारा साः स्थार के लिए (इस परिशिष्ट की भ्रनुसूची के भाग ख के श्रनुसार) ब्लाए जारणे का व्यक्तित्व परीक्षण हुन् साक्षात्कार ।

खण्ड- 2

प-ीक्षा के विषय :—-

- (ग्र) श्रनिवार्य विषय [ऊपर खण्डः 1] के उपखण्ड (क) (1) के श्रमु सार) :—
 - (1) सामान्य भ्रम्भेजी . प्णांक 150
 - (2) नामा . पूर्णांक 150

(ब) वैकल्पिक विषय—-[उत्पर खण्ड-। के उपखण्ड (क) (ii) के भनुमार]:---

विषय			म ें	डिसंख्या	पूर्णाक
(1)				(2)	(3)
कृषि विज्ञान				01	200
ग नस्पनि विज्ञान		,		0.2	200
रसायन विज्ञान				03	200
मिविल इंजीनियरी		•		0.1	200
भ्-विज्ञान			•	0.5	200
कृषि इंजीनियरी				0.6	200
रसायन इंजीनियरी				0.7	200
ग णित .	•			0.9	200
यांस्रिक इंजीनियरी				10	200
भौतिकी .				1 τ	200
प्राणि विज्ञान		÷	•	13	200

परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पावन्दियां लागु होंगी ---

- (1) कोई भी उम्मीदवार कोड 01 तथा 06 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा।
- (2) कोईभी उम्मीदवारकोड 03 तथा 07 वाले विषयों को एक साप नहीं ले सकेगा।

नोट :— ऊपर लिखे विषयों का स्तर श्रीर पाठ्य-विवरण इस पर्णाक्षात्र की श्रनुसूची के भाग "क" में विधा गया है :

खण्ड-}[[

सामान्य

- सभी प्रश्न पत्नों के उत्तर अंग्रेजी में हो लिखने होंगे।
- 2. उपर्यूक्त खण्ड- Π के उपखण्ड (क) ग्रीर (ख) में उल्लिखित : \hat{r} , प्रश्न-पन्न के लिए 3 घन्टे का समय दिया जाएगा।
- 3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर ध्रपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ध्रोर से उत्तर लिखने के लिए किसी ध्रन्य व्यक्ति की सहायमा लेने की ध्रनुमति नहीं होगी।
- 4 ग्राप्पेय श्रवने निर्णय से परीक्षा के किसी एक यासभी विषयों के घटक ग्रक (क्वाविफाइंग मार्क्स) निर्धारित करसकता है।
- 5 यदि ित्सी उन्मीदवार की लिखायट ग्रामानी से पढ्ने लायक नहीं होगी सो उसे अन्यक्ष मिलने वाले कुल प्रकों में में कुछ ग्रक काट लिए प्रायेंगे।
 - अनावश्यक आन के लिए अंक नहीं दिए आयेंगे।
- परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रीय दिया जाएगा कि स्रीभ-व्यक्ति कम से कम शब्दों में कम-बद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से स्रीर सही हो।
- 8 प्रश्त-पद्म में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तील और माप की मीदिक प्रणाली में सम्बन्धित प्रश्न ही पूछें जायेंगे।

भनुसूची

भाग-क

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्नों का स्तर ऐसा होगा जिसकी किसी भारतीय विषयविद्यालय के तिज्ञान/इंजीनियरी ग्रेजुएट से आणा की जाती है। श्रन्य विषयो में प्रधन पत्नी का स्तर लगभग भारतीय विषयविद्यालयो की स्नातक उपाधि (पास) के समान होगा।

किसी भी विषय से प्रायोगिक परीक्षा नहीं की जाएगी।

गामान्य श्र ग्रेर्जा

उम्मीदवारों को एक विषय पर श्रंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा। अन्य प्रथन इस प्रकार में पूछे जायेंगे जिससे उसके श्रंग्रेजी भाषा के शान तथा णब्दों के कार्य साधक प्रयोग को जांच हो सके।

सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान जिसमें सामियक घटनाओं का ज्ञान मथा प्रतिदिन के प्रेषण और अनुभव की ऐसे बातों का वैज्ञानिक वृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित हैं जिसकी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से धाणा की जा सकती हैं जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष प्रध्ययन में किया हो। इस प्रण्न-पद्ध में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रथ्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीखवारों को विशेष प्रध्ययन के बिना ही आना जाहिए।

नोट:---मामान्य ज्ञान के प्रकृत पत्र में केवल वस्तु परक प्रकृत होगे । नमूने के प्रकृत सहित उद्यौगे के लिए कृपया परिणिष्ट र मे उम्मीदवारों के लिए मूचना विवरणिका देखें।

क्रिविद्यान (कोष्ट०1)

उम्मीदवारों को नीचे खण्ड (क) श्रीर (ख) या खण्ड (क) श्रीर (ग) मे दिएहुए प्रथनों के उत्तर देने होगे।

(क) कृषि-प्रर्थणास्त्र

कृषि अर्थभारत का अर्थ तथा क्षेत्र, ग्रध्यम का महत्व तथा अन्य विकानों से सम्बन्ध भारतीय आधिक स्थिति में कृषि का महत्व पूर्ण राष्ट्रीय आय में उसकी देन, अन्य देशो से तुलना, भारतीय कृषि उत्पाद विषणान श्रम, उधार इत्यादि महत्वपूर्ण आधिक समस्याओं का अध्ययन।

फामें प्रबन्ध के प्रध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा क्षेत्र, अन्य भौतिक तथा सामाजिक विकानों से सम्बन्ध फामें प्रबन्ध की श्रवधारणायें और मूल सिद्धान्त । फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके, भूमि, जल, श्रम, और उपस्कर के लाभकारी प्रयोग का श्रायोजन, फार्म की अमता को मापने के तरीके, फार्म के हिसाब किताब के प्रकार और उद्देश्य फार्म के श्रीभलेख तथा लेखे, विस् लेखा-विधि उद्यम—लेखा विधि सथा पूर्ण लागत लेखा-विधि।

(ख) शस्य विज्ञान

फमल उत्पादन—खरोफ की फसलों—धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मुंगफली, तिल, कपास, सनर्घ सूंग, उड़द—का विस्तृत अध्ययन जो उनके प्रारंभण, वितरण, बीज डालने योग्य भूमि तैयार करने, मुधरी किस्म, बुआई तथा बीजो के मिश्रण की मात्रा, कटाई, भंडारण, फमलों के भौतिक निषेषा के संदर्भ में हो।

रबी की महस्वपूर्ण फसलों गेह, जौ, चना, सरसों, ईख, तम्बाकू, बैरसीम क विस्तृत अध्ययन, जो उनके उद्गम अतिबृत्त बंटन, भूमि तथा जलवायु की आवश्यकनाए, बीज की क्यारियों की तैयारी, मुखरी प्रकार की किस्में, बोना और बीज की मिश्रण दर, कटाई, भण्डार में रखने, फसलों के भौतिक निवेण के संवर्भ में हो।

घाम-पात और घास-पात नियंक्षण--घामपात का वर्गीकरण, भारत की प्रमुख घास-पात के प्राक्कतिक बास तथा विशेषनायं, घास-पात के कुप्रभाव, तथा उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानियां, घास-पात के बोने की प्रमुख एजेन्सियां और घास-पात पर संवर्धन, जैविक और रसायनिक नियंत्रण।

सिंचाई और जस निकास के सिद्धांत- सिंचाई जल की आवश्यकता और स्रोत, फसलों को जल की आवश्यकता की मान्ना, साधारण जल की लिक्टें, जल मान, सिंचाई के जल को क्यर्य जाने से रोकना, सिंचाई के तरीके और ढंग, प्रत्येक ढंग के लाभ और सीमाए। सिंचाई के जल की माप, पृथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व, जल-निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण क्षति पहुचना, अस निकास के ढंग।

म्वा विज्ञान और मुदा संरक्षण

मृदा (सीयल) की परिभाषा, हमके मृक्य अंग मृदा प्रोफाइल मृदा खिनज कोलाइड्स घनायन विनियम क्षमता आधार संतृत्ति प्रतिशत, आयन विनियम पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ भूमि में उनकी आकृति और पौध के पोषण में उनका कार्य मृदा जैंव पदार्थ, इसका गलना और इसका मृमि के उपआज होने पर प्रभाष। एसिड और क्षारीय मिट्टी उनकी बनावट और भूमि उद्धार। भूमि गुणों पर आगेनिक खादों हरी खावों और उर्वरकों का प्रभाव। माधारण माइट्रोजनों फास्फेटिक और पोर्टणीय उर्वरकों के गुण।

यांत्रिक बनाकट और भूमि की रचना, भूमि, रन्ध्रान्तर भूमि संरचना. भूमि जल, भूमि जल के प्रकार इसकी रकते की किया भूमि जल का सुलम होना तथा भूमि जल की माप। भूमि का तापमान, भूमि धाय क्षका महत्व, भूमि संरचना, इसके प्रकार तथा भूमि के भौतिक रासाय्निक गृणों पर उनका प्रभाव।

भूमि आकारिकी और भूमि का सर्वेक्षण—भूमि का टटना, मृदा बनाने बाली चट्टान और खनिज, मृदा बनाने में उनका घटन और महत्व। चट्टानों सथा खनिजों का अपकाय; मृदा बनाने के कारक और प्रक्रम, संसाय के बहु मृदा समूह तथा उनका कृषि संबंधी महत्व। भारतीय मृदाओं का अध्ययन। मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण।

भूमि संरक्षण के सिद्धान्त—भूदा का अपरवन, अपरदन के कारण, भूमि संरक्षण, भास्य तथा शंजीनियरी तरीकों से संबधित भूदा के गुण, कृषि भूमियों के लिए भूमि से जल निकास की आवश्यकताए तथा प्रचलित नरीके, भूमि-प्रयोग का वर्गकरण, भूमि सरक्षण, योजना तथा कार्यक्रम । वनस्पति विकान (कोड-02)

- पादप जगत का सर्वेक्षण---पण्ओं तथा पादपों में जन्तर; जीवित प्राणियों के गुण; एक सैल तथा अधिक सैल वाले प्राणी; थाइरस / पादप जगत के विभाजन का आधार।
- 2. आकारिकी——(i) एक सैल वाले पादप-सैल, इसकी बनावट तथा अग, सैलों का विभाजन तथा गुणन ।
 - (ii) अधिक सैल वाले पादप—

संबहनी और संबहनी-रहित पादपों के तनों में विभिन्नता, सबहनी पादपों की बाहरी तथा मीतरी आकारिकी।

- 3. जीवन बृत, तीचे विए गए पादधों में कम से कम एक प्रकार के पादप का अध्ययन---जीवाणु, साइनाफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडो-फाइसी, फाइकोम्फोर्टस, एसकीमीसाइट्स, बैसीडाइया, मीसाइटस, लिवर बोर्टस, काइथा, टरियोडोफाइट्स, जिमनोम्पर्म्स और इजीयोस्पर्म्स ।
- 4. वर्गिकी—वर्गीकरण के सिद्धान्त—एजियोस्पर्म्स के वर्गीकरण के प्रमुख ढंग : निम्निखित प्रजातियों के भिन्निभिन्न लक्षण तथा आधिक महत्व—यमीनिया, साइटीमिनाए, पामेसिआए, लिलीएसाई, आरकोडसीआई, मोरासोधाए, लोरान्थासियाए, मगनोलियामिधाएं, लोराहसो क्रूसोफरिए, रोमासीएई लेगुणानामई, एटासीएई, मैनियसिएई, यूफोरेबिरासई, एनात काडिएसाई, मालवासेएई, अवोसीनेसई, एसलेडीसई, बिस्टरोकार्यसई, मिरटेसेई, अम्बलीफरेलाविएटई, सोलेनाइसी, रुवियासियाई, कुकरवाईटेसाई, बरकानासेई और कम्योजिटाई।
- 5. पादव--शरीर-- जिया-- विज्ञान :-- स्वपोधण, परपोषण जल तथा पोषकों को भीतर लेना, घाष्पोस्सर्जन, फोटोसिन्थिसस, अनिजपोषण, व्यस्त, विद्य, पुनर्जन्म, पादप/पणु संबध सिम्बलोमिस. परजीविता, एन्जाइम, आक्सीस्स, हार्मोन्स, फोटोपिएयोडिज्म।
- 6. पादप रीग विज्ञान:—पादप रीगों के कारण तथा उपचार, रोगी अंग, बाहरस, हीनताजस्थरोग रोग से बचाब।
- 7. पादप परिस्थिति विकान: भारतीय पेड़-पौधों तथा भारती बनस्पति क्षेत्रों के त्रिशेष संदर्भ में परिस्थिति तथा पादप भृगोल से सम्बद्ध कृतियादी सिकान्त ।

9. आधिक वनस्पति विज्ञान.——मानव कल्याण की दृष्टि से पादपो विणेपकर पृष्प पादपों के आधिक प्रयोग, जो विणेपतया इन वनस्पति छत्पादों के सदर्भ में शे खाद्याद्रस, दाले, फल, चीनी, तथा स्टार्च, तिलहन, मेमाले, पेय, तस्त, लक्षकी, रवर की दवाइयों और आयश्यक केल।

10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास-~वनस्पति विज्ञान से संवंधित ज्ञान के दिकास की जानकारी ।

रमायन विज्ञान : (कोड-03)

1 आकार्यनिक रसायन विज्ञान

राश्चो का इलैन्द्रानिक विन्धास, आप-बाङ सिद्धान्त, तस्यों का आवर्ती वर्गीकरण । गरमाणु क्रमांक । संक्रमण तत्व और उनके लक्षण । परमाण् और आपतिक क्रियास आयनन विभव । इलैक्ट्रान बहुता और विकृत क्रणान्त्मकता ।

प्राकृतिक और कृत्निस विष्ठनामिकना । नाभिकीय विष्ठण्डन और सलयन ।

सयोजनता का इलैक्ट्रानिक सिद्धान्त, सिग्मा और पाई धन्ध के बारे मे प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आवन्ध को संकरण और दिशिक प्रकृति ।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त उभयनिष्ठ धातृकर्मीय तथा विष्लेषीय प्रवालनों में निहित सम्मिश्रों का **इलै**क्ट्रानिक विन्यास ।

आक्सीकरण श्थितियां और आक्सीकरण संस्था । सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक । आयत्तिक समीकरण ।

ल्यादेस और असटेड के अस्त और क्षार सिद्धान्त ।

सामान्य तत्वां का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विणेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निक्कर्षण के सिद्धान्न महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन (और धानुकी) ।

हाइड्रोजन पर आक्साइड की संरचना, डाईबोरन, एल्रामनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन फास्कोरस, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीरेसिड ।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन ।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त ।

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइट्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गत्येकीय अभ्ल, सीमेंट, ग्लास और कृतिम उर्वरकों के निर्माण की स्परेखा।

कार्बनिक स्थायन विज्ञान

महसंयोशी आवधन की आधितक सकल्पताए, इनेक्ट्रान विस्थापन-प्ररणिक, मैसोमरी और अति संयुग्मन प्रभाव । अनुनाद और कार्बेनिक रशायन मे उसका अनुप्रयोग । वियोजन स्थिरांक (डिसो-सिएशन कांस्टेंट) पर संद्वना का प्रभाव ।

एस्कान, एस्कीन और एस्काइन । कार्यनिक मिश्रण के स्नात के रूप में प्रीप्तियम । एत्विकटिक मिश्रणों के सरल अस्वक्ष । एस्कोह्न, एस्डीहाइड्स, कीटीन, अस्त, हैवाइट, एस्टम, ईथर अस्त एनाड़ाइड क्लोराइड और अमिड । एक्कारकी हाइड्डोक्सी कोटनी और एमीनी अस्त्र । कार्बधात्विक भिश्रण और एमीटीएसीटिक एस्टर । टाईटिक, मिट्रिक, मलेइक और क्मिरिक अस्त्र । कार्बीहाइड्रेट वर्षीकरण और सामान्य अभिक्रिया । स्तकोन, कल कर्मरा और इध् कार्या ।

विश्विम रतायन . प्रकाशकोय और ज्यामिनीय समावयता । संख्यण की संकटनना ।

बैक्कोन आंद्रिस्त साध्ररण ब्युत्यम टाल्ईन अहलीन भीनाल हैलाइट नाइट्रा ऑर एमोनी सिश्रण। य बाहक सैलिसिक सिलेमिक मैडेलिक और सब्होने ह अन्त । एसमैटिक ऐन्डिटाइड आर कीशन। बाइऐबा एवा और 2—521GU/78 ्राउडेओं मित्रण । परोमेटिक पनिस्थापन । नैश्यलीन पिरिशीन और क्यनो-सिन ।

3. भौतिक रक्षप्रन ।

गैसो और गैस नियमों का गतिक शिद्धान्त । मैक्सबेल का बेग वितरण नियम । वान देखाल का गमीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम ।

भैमो का झवण । भैमां की विशेष उदमा । सी० पी०/मी० वी० का अन्पात । उदमार्गातकी

कष्मार्गातको का महत्वा नियम । समतापी और ध्व्धापम प्रसार । पूर्ण कष्मा । कष्मा धारिता । कष्मरभायन—अभिविया कष्मा विरचन, विलयन और दहन । आवक कर्जा की गणना । किरमोप समीकरण ।

स्थतः प्रवर्तित परिवर्तेन का मानदण्यः । उष्मागितकी का दूसरा नियम । एन्दार्था । मुक्त उर्जा । रासायनिक सन्तृषेन का मानदण्यः ।

थोल पारासरण दाथ, वाष्प दाव को कम करना, वाष्पहिमांक अवनयन क्षयथनांक बर्गना । घोल में अणुभार निश्चित करना ।

विलेयो का सगणन और वियोजन ।

रासायनिक संतुलन । द्रथ्यसान अनुपाती आंभिकिया और यसांगी तथा विषमांगी संतुलन । ला शात लिंः नियम । रागायनक संतुलन पर ताप का प्रभाव ।

विद्युत रसायन — नैराड विद्युत अपघटन नियम ; विद्युत अपघटन की चालकता , तूल्याकी चालकता और तन्ता में उसका परिवर्तन : अल्प विलेय लवणों की विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन । ओस्टबाल्ड तन्ता नियम प्रबल विद्युत अपघटकों की असंगति, विलेयता गणनकल, अभ्यों और अगरकों की प्रवर्तना लवणों का जल अगस्टन ; हाइड्रोजन आयन की साम्द्रता उभय प्रतिरोध क्रिया (ब्रफर किया) सूचक मिद्धान्त ।

अन्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमेल इलेक्ट्रांड और रेडाक्स विभव । साबदता सेल । पी० एघ० का निर्धारण । अभिगमनोक पानी का आयनी गुणनकल । विभव कुलक अनुसापन ।

रासायनिक अलगीतिबज्ञात । अणुमख्यता और अभिक्रिया की क्षाँटि । प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी काटि की अभिक्रिया । तापमान अभि-क्रिया और इसरी कोटि की अभिक्रिया । तापमानत अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अपकारिकता तापांक और सिक्रियण ॐर्जा । अभिक्रिया दरों का संबन्द सिद्धान्त । सिद्धान्त । सुनिष्ठित ्रांच सिद्धान्त ।

प्रावस्था नियम : इसकी णब्दाविनयों की व्याख्या । एक और दो घटक तन्त्र का प्रनुप्रयोग । वितरण नियम ।

कोलाइड : कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण, कोलाइड के विरचन भीर गुणों की सामान्य रीति । स्कल्दन । रक्षक किया भीर स्वर्णाक । श्रिधिणोपण ।

उन्प्रेरण--समांग श्रीर विषमांग उन्प्रेरण. विषाकतन बर्धक ।

प्रकाण रसायन : प्रकाण रसायन के नियम । सरल संख्यात्मक ।

सिवित इभीनियरी . (कोट-04)

भवन निर्माण कार्य सामगी नथा उस सामग्री के गुण तथा सामग्री:

भवन निर्माण कार्य मामग्री—इमारतो क्षकडी, पत्थर, ईट, खूना, टाइल, सन्ड, सुरखी, मोर्टार तथा अकीट, धातु तथा कांच इजीनियरी प्रेक्टिस में प्रयुक्त होने वाली धातुश्रो ग्रीर स्रायस्कों के गुण।

म्ह्रेस तथा रहेन--हुक का सिद्धान्त--वैडिंग । टारणन तथा डाइरेक्ट रहेस, शहतीरों के मुड़में का इलास्टिक सिद्धान्त, केन्द्रीय रूप से बोझा गड़ने के कारण ब्रधिकतम ब्रीर न्यूननम दबाय । बंडिंग मुमेंट श्रीर शियर कोर्स के डालक्राम तथा स्थिर श्रीर चलायमान दबाय के बधीन शहतीरों का विक्षेप।

भवन निर्माण, जल प्रवाय ग्रीर सफाई से सम्बन्धित इन्जीनियरी :

निर्माण—र्इंट तथा परथर की चिनाई—दिवार, फर्भ तथा छत, जीने, लकड़ी के दरवाओं पर नक्काणी, छते, दरवाजे खिड़कियां तैयार करना । प्लास्टर, प्वाइंटिंग, पेस्ट तथा वारनिभ स्नादि से संबंधिस स्नंतिस कार्य।

मृदा यांत्रिकी (सोइल मकेनिक्स) मृदा श्रीर उससे संबंधित खोज. भारवहन क्षमता श्रीर भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने के सिद्धान्त ।

भवन निर्माण सम्बन्धी ध्रनुमान तैयार करना—नाप की सिद्धान्त इकाईयां, भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना नथा होने वाले व्यय तथा महत्वपूर्ण मर्दों के विवरण सैयार करना ।

जल प्रदाय---पानी के स्रोत विष्कृतना के मानक, मुद्ध करने की प्रणालिया, जल प्रदाय के ढंग, पष्प तथा बुँस्टर ग्रादि की रूप लेखा तैयार करना।

मफाई—पंदी नालियां, तूफान से बढ़े हुए पानी के लिए और मकानों के लिए अवेक्षितनालियों की श्रावश्यकनाएं जाचना, सप्टिकटैंक इम्होंब टैंक, कचरे को रखने के लिए खाइयां तैयार करना—एक्टीबेटेट स्लाज पदनि।

4. सङ्क तथा पुल

सर्वेक्षण तथा संरक्षण (म्नलाइनमेंट)—राजमार्ग के लिए ग्रपेक्षित सामग्री तथा उनके विनियोग, डिजाइन के सिकान्त, नीव तथा पटरियों की चौड़ाई, कस्बर, ग्रेडिएन्ट मोड़ भ्रौर सुपर एलिवेशन, रिटेनिंग वाल्स।

निर्माण---कच्ची सडकें, स्थिर तथा पानी के बने हुए मेकटेम सड़कें, बिट्मिन्स, तलीवाली तथा कंकीट सड़कें, सड़कों पर नालियां, पुल--- उनके प्रकार, इकोनिभिकल स्पेन, प्राई० ग्रार० सी० लोडिंग, छोटे पुलो के ऊपरी ढांचों के डिजाइन बनाने, पुलों के पाया लथा पायर, पायर तथा कुएं की नीव के डिजाइन तैयार करने के सिद्धान्त नैयार करना।

सङ्कों श्रीर चहल के लिए मिट्रों के काम का प्राक्कलन।

4. संरचना इंजीनियरी

इस्पात के ढांचे — अनुमत ढांचे, साधारण शहतीरें तथा तैयार किए गए स्तंभों भीर साधारण छत के द्रेस और गाईरों के विजाइन तैयार करना, स्तम्भों के आधार तथा चारों भोर से बीच से दबाव पड़ने वाले स्वम्भों के लिए ढांचे बनाना — चटकनी लगे, रिफ्ट लगे हुए और बेल्ड किए हुए जोड़।

श्रार० सी० सी० स्ट्रक्षर (ढांचे)—प्रयुक्त सीमान का विवरण— ध्येक्षित मत्रबूती श्रीर उसके हिराज से उनके प्रयोग ध्राबंटन करना। डिजाइन लोड्स के लिए भारतीय भानक संस्थान के मानक/धार० सी० सी० के पदार्थों में ध्रनुसत स्ट्रेग जोड सीधी बैडिंग स्ट्रेस के श्रनुसार हों। साधारण रूप से सहारे से साथ लटकते हुए कैन्टीलीवरलट्टे, चौकोर तथा टी शक्ल के लट्टे जो फशों, छतों श्रीर लिटल में प्रयुक्त होते हों—चारों श्रीर से दबाब सहारने बाले स्तंभ तथा उनके श्राधार।

भृ-विज्ञानः (कोड – 05)

मामान्य भू-विशानः

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल श्रीर श्रांतरिक भाग. विभिन्न , भू-वैज्ञानिक एकेलियां श्रीर स्थलाकृति. श्रपक्षम श्रीर श्रपरदन (रोजन) पर उनका प्रभाव, मूदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण श्रीर भारत के मूदा समृह, भारत के भू-श्राक्कृति उप-भाग, वनस्पति श्रीर स्थलाकृति ज्यालामुखी, भूकमा, पर्यंत पटल विरूपण।

मंरचनात्मक भृ-विज्ञान :

श्राग्नेय, श्रवसादी श्रीर कायानरित चट्टानें, नित, नित लम्ब श्रीर ढलान बेलन, भ्रंण श्रीर विषम निन्यास श्रीर दृश्यांणो पर उनका प्रभाव, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण श्रीर मानचित्रण की विधियों के संबंध में प्रारम्भिक निक

फिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :

किन्द्रल समिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी । किस्टल विज्ञान के नियम, किस्टल की प्रकृति और यमलन (दिवर्तिग) । मूण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण योल रचना, रामायनिक संघटन, भौतिक गुण, प्रकाणिक गुण धर्म, परिवर्षन और याणिज्यिक उपयोग संबंधी गध्ययन ।

4 ग्रार्थिक भू-विकानः

भारत के महस्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की श्रवस्थ। का श्रद्ययन । श्रयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण ।

5. भील विज्ञान :

भ्राग्नेय, श्रवसादी श्रीर कार्यातरित चट्टानों तथा उनके उद्भव श्रीर वर्गी-करण का प्रारम्भिक ज्ञान । चट्टानों के सामान्य प्रकारों का श्रध्ययन ।

स्तर क्रम विशः ।

स्तरकम विज्ञान के नियम ; भु-विज्ञान प्रिमिलेखों का अपम वैज्ञानिक और कालानुकम उप-विभाजन । भारतीय स्तर कम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेष-नाएं।

7. जीवापम विज्ञान :

जीवाश्म विज्ञान संबंधी धाधार मामग्री का विकास से संबंध। जीवाश्म (फासिस) उनका स्वरूप भौर उनके परिरक्षण की विधि। प्राणि जीवाण्मीं भौर पादप जीवाश्मों की निरूपण धाक्कृतियों के धाक्कृति विज्ञान भौर विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी।

कृषि इंजीनियरी (कोइन06)

1. मृदा लया जल संरक्षण—मृदा संरक्षण की व्याख्या तथा उसका क्षेत्र, भूरक्षण के प्रकार तथा जल विज्ञान, उनके कारण, जल विज्ञान सम्बन्धी चक्र, वर्षा तथा जलवाह ऊपर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा उनके आकार; स्ट्रीम गाजिंग, वर्षों के जलवाह का मृत्यांकन, मृक्षरण पर नियंद्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरी।

मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना। मृत्रा संरक्षण सम्बन्धी ढांकों, टेरेस बांध, नालियों तथा घास उगाने हुए पानी के विकास के भागों का विजाइन बनाना; बाढ नियंत्रण के सिद्धान्त। बाढ के पानी की निकासी के लिए मार्स बनाना; फार्स के लिए तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार करना, नदी के किनारों पर भूक्षरण तथा उसका नियंत्रण, बायुअनित भूक्षरण तथा उस पर नियंत्रण। जल संबरण की देखभाल के सिद्धान्त। घाटी नदी परियोजनाक्यों से सम्बन्धित जांच तथा योजनाक्यों की तैयार करना।

2. सिचाई तथा ड्रेनेज:

मृदा जल पौधों के पारस्परिक संबंध, सिचाई के स्रोत तथा प्रकार। लखु सिचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाइन नैयार करना, सिट्टी की नभी का पत्रा लगाने की तकनीक।

जल के उपयोग । फमलों के लिए जल की अवश्यकता । सिंधाई का परिमापन तथा उसका व्यय । रिधों, नालों तथा नालियों द्वारा जल प्रभाव नापने की प्रणालां । सिंचाई प्रणालियों की रूप रेखाएं बनाना । नहरों, क्षेत्रों की नालियों, पाइप लाइनों, हैड ग्रेट्स, डाइवर्जन बाक्स स्ट्रसचर लथा रोड़ कासिंग के डिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना । भू-जल प्राप्ति । कुंगों की द्वव इंजीनियरी, कुंगों के प्रकार, उनके निर्माण नथा उनकी खुवाई की प्रणाली, कुंगों के विकास / कुंगों को टेस्ट करना ।

हेनेज --परिभाषा--जलाकांति के कारण । हेनेज के खंग । सिवाई की जाने वाली भृमि में नालियों को बनाना । जन तथा भृमि से नीचे नालियां बनाने के डिजाइन तथार करना ।

3 निर्माण सामग्री--निर्माण सामग्री के प्रकार-- उनके गण धर्म :

टिस्थर, विक वक्से तथा भार० सी० कंस्ट्रक्णन शहनीरों, छतों के जोड़ तथा स्तम्भों के डिजाइन तैयार करता । फार्स स्टेड की योजना बनाना फार्स हाउसेंस पशुषाला तथा भंडार के लिए ढांचों का डिजाइन बनाना। ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की व्यवस्था।

फार्म विद्युत तथा मगीनरी:

भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रांतरिक दहन इजिन लगाना । श्रांतरिक दहन इंजिनों का बातानुकूलन सथा नियंत्रण तथा उनमें सेल डालना धौर उनके लिए दहन की सामग्री उपलब्ध करना । ट्रैक्टरों चेसिस ट्रांसिशान श्रौर स्टीयरिंग के भिन्न-भिन्न प्रकार । प्रारम्भिक तथा साध्यमिक जुनाई के लिए इचि की स्थीनरी, बीजने की सथीनरी, गुड़ाई के श्रौजार श्रादि । पौद्यों के संरक्षण का सामान । फसलों की कटाई श्रनाज गाहने के श्रौजार, भूमि विकास के लिए म्योनरी एस्प श्रौर एंस्मिंग मशीनरी।

5. बिजली तथा ग्रामी में बिजली उपलब्ध करना:

बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण ए० सी० तथा डी० सी० सर्किट ।
फार्मी में बिजली ऊर्जा के उपयोग । क्रुंषि में प्रयोग होने वाले बिजली के मोटर, उनके प्रकार संबंधी चयन, उन्हें लगाना तथा उनकी देखरेख ।

गमायन इंजीनियरी: (कोइ--07)

- 1. परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीम) :
- (क) मोमन्टम ट्रांसफंर।
 - (i) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदा।
 - (ii) बैलोसिटी प्राफाइल ।
 - (iii) फिल्ट्रेशन, सेडिमेटेंगन, संट्रीपयूज ।
 - (vi) तरल पदार्थों में ठोस पदार्थी का बहाय।
- (छ) ऊष्मा स्थानान्तरण : ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न डाइमेगन ढंग:चपेट, बेलानाकार, वर्गाकार, एकमात्र तथा मिश्रित, शीगों की तहों के लिए गित भापना।

कत्वेरणन-—फोर्स्ड ग्रौर की कत्वेरशन में प्रयुक्त विभिन्न टाइमेंशन रहित ग्रुप । ग्रलग तथा पूर्ण रूप सथानान्तरण का रूप निर्धारित करना । वाष्पी-करण---विकीरण---स्टेफन, बोल्टज्मेन का नियम----एमिसिविटी तथा एव-जोपिटीविटी । ज्योमेट्रोकल गोप फैक्टर भट्टियों में उप्मा के दबाव का हिसाब लगाना।

(ग) संहित स्थानान्तरण : गैंगों तथा तरल पदार्थों का विसरण ।
 ग्जोपंशन, डियोपर्शन, खामिडिफिकेणन, डीहयामिडिफिकेशन,
 इारंग तथा डिस्टिलेशन । मोमंटम हीट तथा भाप झौर ट्रांमफर
 के भेद ।

2. ऊष्मा/गतिकी :

- (क) ऊष्मा गतिकी के प्रथम, द्वितीय घौर तृतीय नियस ।
- (ख) इन्टरनल एनर्जी, एन्ट्राफी, एन्यालफी, भीर स्वतंत्र ऊर्जा निर्धारण ।
 मजातीय सथा बिजातीय सिद्धान्तों के लिए कैंभिकल ध्विलिक्षियम
 कास्टेंट निर्धारित करना । दहन बिस्टिलेशन तथा ऊष्मा स्थानान्तरण में उष्मा गतिकी का उपयोग । तरल पदार्थौ—–ठोस धौर
 तरल पवार्थौ तथा ठोस पवार्थौ के मिश्रण के सिद्धान्न तथा
 मैकेनिजम

प्रतिकिया इंजीनियरी :

- (i) बलगितकी : सजातीय भीर विजातीय प्रक्रियाएं, प्रथम भीर क्रितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं, बैच तथा फिलो-रिएक्टर तथा उनके डिजाइन।
- (ii) केटेलेसिस—केटेलेसिस का पुनाव तैयारी । मैकेलिज्म पर श्राधारित केटेलेसिस का मिकेलिक रूप ।

4. द्रांसपोर्टेशन

सामग्री विशेषतः, पाउडरो, रेजिन, उड्ड जाने वाले तथा न उड्डने वाले पदार्थ, एमल्यान भीर डिसपर्यन, पंपी, कम्प्रेशसरीं तथा कुलोभर्स एकक्रित करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ने जाना।

मिक्स्बर मिलाने का सिद्धान्त तथा प्रक्रिया।

5. सामग्री

वे मामले जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव किया जाता है। धातु भौर एलाए, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक तथा रबर, इमारती लकडी तथा उससे बनी चीजें, प्लाईवृड लेभिनेट।

बाट और वेरल, फिल्टर प्रेसेज म्नादि के निर्माण के लिए उपस्कर तैयार करना।

वंशीकरण तथा प्रक्रिया नियन्नंण :

यांक्रिक हाइड्रोलिक न्यूमेट्रिक, थरमल, श्राप्टिकल, गनेटिक, इलेक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रोनिक श्रीजार, नियंक्षण तथा नियंत्रण केढंग। श्राटोमेशन।

भाग---'क'

बीज गणितः समुच्चय (सैट्म)—बीज गणित, सम्बन्ध तथा फलन (फन्मन), फलन का प्रतिलोम, मिश्रित फलन, तुरुयता संबंध,

संख्या: पूर्ण संख्या, परिसेय संख्या, वास्तविक संख्या (गूणधर्मी के विवरण) सम्मिश्र संख्या, समिश्रण संख्याक्रों का बीजगणित।

समृह: उप समृह, प्रसामान्य उपसमूह, चकीय तथा क्रमचय समृह, लागरेंज की प्रमेय श्राहसोमोफिज्म,

परिमेय इन्डेक्स की डी-मोइवरम प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग।

ममीकरण के सिद्धान्त-—बहुपवीय समीकरण, समीकरणों का क्पांतरण, बहुपवीय समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध, विघान तथा चतुर्धान समीकरणों के मूल का समिमित फलन, मूलों का स्थान निर्धारण तथा मूल निकालने का ल्यूटन का मिद्धान्त।

भाज्यह, (मैट्टीसेज) : आज्यूक्षी—सार्गणको का श्रीजगणित, सारिणको का साधारण गुणधर्म, सारिणको का गुणनफल, सह खंडज आज्यहर्द आज्यह्री, का प्रतिसोपन, आज्यूक्षे की जाति, रेखिक संगीकरण के हल निकालने के लिए आज्यही का प्रयोग (सीन भ्रजात संख्याभी में)।

श्रममनाएं: गणित तथा ज्यामितीय माध्य, कोशी, श्वार्ज, श्रममता (केवल परिमित संख्याओं के लिए)।

विविध भीर विविध की विश्लेषिक ज्यामिति:

विविषय की विश्लेषिक ज्यामिति—सीधी रेखाएं, युगल सरल रेखाएं, बृत, निकाय, वीर्षवृत्त परवलय, प्रतिपरवलय (मुख्याक्ष के नाम से निर्विष्ट) ग्रंग के समीकरण का मानक रूप तक लघु करण । ब्रिप्याएं तथा श्रिप्तस्य ।

स्निविम की विक्लेषि ज्यामिति ---

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक) । कलन भौर विभिन्न समीकरण ।

कलन (कैलकुलम) भौर विभिन्न समीकरण

प्रवक्तन गणितः —सीमांत की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का मांतस्य प्रौर अवकलनीयना, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन । रोल का प्रमेय । मध्यभान प्रमेय, मैकलारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण प्रावक्ष्यक नहीं है। और उनका अनुप्रयोग ; परिसेय सूचकांकां के लिए इंपर—प्रसारण, चरधांताकी प्रसारण, लधुगणकीय विकोणमितीय और अति परवलियक फलन । अनिवारित रूप, एकल चर फलन का उन्चिष्ठ और अधिपष्ठ, स्पर्श

रेखा, अभिलम्ब, अधः स्पर्शा, श्राधोलम्ब, श्रनन्तस्पर्शी बकता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जसे ज्यामितीय अनुप्रयोगः एनवेलप, श्रांशिक श्रवकलनः। समांगी फलनो से संबंधित आयलर प्रसेषः।

समाकलन-गणित (इटीग्रल कैलकुलस) :

समाकलन की मानक प्रणाली, सतत फलन के शिक्षित समाकलन की रीमान परिभाषा । समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त परिशोधन, क्षेत्रकलन, स्रायमन स्पेर परिकाण बनाकृति का पष्टीय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बार में शिरपण्य का निष्ण।

श्रदुक्रम श्रीर सिरीज का श्रीभसरण, इन गरुयाओं के नाथ सीरीज श्रीभ-सरण का परीक्षण, श्रदुपति, मुल श्रीर गीम परीक्षण। एकांनर श्रेणी।

श्रवकल समीकरण—-अथम काटि के मानक श्रवकल समीकरण का हल निकालना । नियन गुणाफ के साथ दितीय श्रीर उच्चनर कोटि के रैंखिक समीकरण का हल निकालना । वृद्धि श्रीर क्षय की समस्याश्रों का सरल श्रनुष्रयोग । सरल श्रावतं गिन, सरम लोलक नथा उसके समिषण ।

भाग ''ख''

यात्रिकी (वेक्टर पत्रति का उपयोग (क्या जा सकता है)

म्यिति विज्ञान—बल का निरूपण, बल समानान्तर चतुर्भुज, बल समोजन भीर बल वियोजन भीर समनलीय तथा समीणी बलों की साम्यावस्था की स्थिति । बल तिभुज । जानीय भीर विज्ञातीय समानान्तर—बल । श्राष्ट्रणं । बल युग्म । समनलीय बलों की साम्यावस्था की सामान्य म्थिति । साधारणं तत्वों के गुरुत्व केन्द्र । स्थैतिक वर्षणं । साम्य वर्षणं भीर सीमान वर्षणं । वर्षणं कोणं । रुक्ष स्थानत समनल पर के कर्णं की साम्यावस्था । सरल निर्मेयं । साधारणं भणीन (उत्तोलक विरनी की निर्वेश पद्धति, गियर) । कल्पित कार्यं (दी पायासों में)।

गति विज्ञान—णुद्ध गति विज्ञान—कण का त्वरण, वेग चाल भ्रोर विस्थापन, श्रापेक्षिक वेग। निरन्तर त्वरण की श्रवस्था में सीधी रेखा गति। त्यूटन के गति संबंधी सिद्धान्त। सकेन्द्र कक्षा। सरल प्रसंबदा गति। (निवृति में) गुरुत्वावस्था में गति। श्रावेक्ष कार्य श्रीर ऊर्जा। रैन्विक संवेग श्रीर ऊर्जा का संरक्षण। एक समान वर्न्त गति।

खगोल विशान

गोसीय विकोण मिति — ज्या एव कोटिजज्या फार्मृला । भनकोण युक्त गोलीय विकोणों के गुण ।

गोलीय खगोल विज्ञान—खगोलाय गोलक, समन्वित प्रणारी और उसका रूपातरण । दैनिक गिन नाक्षत्र समय, सौर समय, साध्य सौर समय, स्थानीय और मान्थ समय, समय समीकार । सूर्य और नक्षत्रों का उदय और अस्त, क्षितिज नित । खगोलीय अपवर्तन । साध्य प्रकाश, लक्षन, अपेरण, पुरस्तरण और विदोलन । कंपलर के नियम । ग्रह कक्षा और स्वब्ध बिदु । चन्द्रमा की वृष्ट गिन, चन्द्रमा की प्रावस्थाएं । खगोलीय यक्ष--सक्सटेन प्रवण यज्ञ ।

सांख्यिकी :

प्रायिकता—प्रायिकता को शास्त्रीय और गांक्यिकीय परिभाषा, सचया-त्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धान्त, सप्रीपबंध प्रायिकता । याद्दिल्छक चर (विविक्त और श्रयिरत), घनत्व कलन, गणिसीय प्रत्याशा ।

मानक वितरण---हिपद--परिभाषा, माध्य और प्रसरण, वैषम्य सीभांत हिप, सरल अनुप्रयोग । प्यामी---परिभाषा---माध्यम और प्रमारण, योज्यता, उपलब्ध आकड़ी में प्वामी बंटन का समंजन । सामान्य गरल समानुपान और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आंकड़ी में गामान्य और प्रमामान्य बंटन का समंजन ।

् द्विष्ठाः वितरण—स्यष्ट सबधः दो त्तरो का रैखिक समाश्चरण, सीधी रेखा का समज्ञत, परवलिक स्वीर चल धानाकी यक, सह संबधित भूणांक के मूर्णक । सरल प्रक्षितको वितरण और परिकल्पनान्त्रों का सरल परीक्षण :

याद्विष्टक प्रतिदर्श । सांख्यिको । प्रतिदर्शी बंटन और मानक लुटि । मध्यपदों के अन्तर की ध्रयंत्रना के परीक्षण मे प्रशासान्य टीं० सीं० एन० प्रार्थ० (Chi²) और एक० का सरल विनरण ।

नोट:

जम्मीद्रयारों को पाठ्य विवरण के भाग "क" में में तीन विषयों में से नामतः (1) बीज गणित, (2) द्वियम और विविम विषयेषिक ज्या-मिति, तथा (3) कलन (केलकुलन) और विभिन्न समीकरण, प्रत्येव पर, एक-एक प्रश्न का उत्तर देना धितवार्य होगा। पाठ्यविवरण के भाग 'ख' में से तीन विषयों में से नामतः (1) यात्रिकी, (2) खगोल विज्ञान और (3) सांख्यिकी, किसी एक पर कम से कम एक प्रश्न का उत्तर देना धितवार्य होगा।

मिकेनिकल इजीनियरी : (कोड*─*─10)

पदार्थों की प्रक्तिः

स्ट्रेमेज तथा स्ट्रेन-—हुक का नियम तथा इलास्टिक कांस्टेट्स के बीच के संबंध-—टेणन व कम्प्रेणन वार्ज तथा तापमान में परिवर्तन के कारण हुए स्ट्रेमेज।

साधारण लदान के लिए सामान्य सहारों के साथ लटकते हुए और कन्टीलियर श्रीम्स में बंकन आयूर्ण, श्रपरूपक बल और विक्षेपण।

गाउँड वार्ज में टार्शन--

मैक्ट्स द्वारा विजली पारेषण---स्प्रिग्ग।

सम्मिलित अंकन श्रीर मीघे प्रतिबल तथा सम्मिलित व टार्शन के सामान्य मामले।

फैल्योर की इलास्टिक थ्योरी--स्फैस कन्यन्द्रेणन तथा फटीस ।

मशीनो श्रीर भशीन डिजाइनो का सिद्धान्त :

मणीनां में पूजीं की सापेक्ष बेलोसिटी ग्राफ तथा गणना करके दिखाना।

इंजनों के केंक एफर्ट डायश्राम—फ्लाई व्हील्य की गति थिविधता। ग्रवर्नमं बेल्ट ड्राइब द्वारा पारेपित बिजलीजरनल तथा धरट वियरिया, बाल तथा रोकर वियरिया को फिरणन तथा लुक्किणन। फिसीन्य और लाकिय डिवाइस के डिजाइन बनाना—रिवट लगाए हुए, बोल्ट और बेल्ड किए हुए, जोडों और फार्सान्य के लिए मालाएं।

3. प्रयुक्त ऊष्म। गतिकी :

र्षंधन दहन--वाय पूर्ति--र्षंधन तथा निष्कास गैम का विश्लेषण । ब्वायलर्म, सुपर हीटर्म तथा इकोनोमाद्दजर्म--व्वायक्तर ट्रापल ।

वाष्प के भौतिक गुण धर्म---

वाष्प सार्गणयां और उनके उपयोग ।

ऊष्मा गतिकी के नियम—गैस नियम—गैसों का विस्तार तथा मणीइन वाय सम्पीडक।

श्रादर्भ श्रीर वास्तविक इंजन क्रम ।

तापमान का जपयोग—एन्द्रापी, ताप-एन्द्रापी तथा प्रेशर बास्यूम चार्ट ग्रीर डायग्राम ।

साधारण वाष्प इंजन और श्रानरिक दहन विल इंजन।

सूचक भौर सूचक डायग्राम—योविक । तापीय, वायु मानक श्रीर वास्तविक दक्षताएं—सामान्य तिर्मणि—ईजन ट्रायल श्रीर ताप सनुलन ।

4. प्रोडक्शन इजीनियरी .

ग्राम भणीन श्रीआर—लैथ, णेपसं, प्लेनर, ड्रिलिंग मर्शानी के प्रचालन रिद्धात—मिलिंग मर्शानें—प्राम्णिडग मर्थानें—जिंग तथा फिरस्चर । धातु काटने वाले श्रीजार—भौजार सामग्री—भौजार ज्यामिति । कटिंग फीर्सके --- ग्रंगधर्मी व्हीवना ।

विल्डम- –मधानीयता और विस्कि के.उटग अक्रियाए- –केल्डो का टेस्ट कपना ।

फार्मिंग प्रासेस — धावृश्रो का गोल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग तथा कृष्टिंग ।

मापिकी---लाहानवर तथा एकृत्य पोरमाप--लोमाण तथा श्राक्षंप । स्य श्रीर गियर का परिमाप---भक्तेंस किनिण---प्रकाशकीय यंत्र ।

श्रीचोरिक इंजे(स्पर्न: 5,9)की अध्ययन श्रीर कार्य गापन—शति समय संबर्धा तथ्य कार्य नमृता - कार्य भत्याकतः सजद्री श्रीर प्रोत्याहन—श्रायोजन, नियंग्रण, स्थल की स्पर्रेशः ।

तरल यांतिको आर पन विजली :

अरमोर्था का समीकरण- भूविम एलेट तथा देस्स**पभ्य और टरबाइ**न । अभिकल्पन नियम प्रयोग और खोलाट वस समानता के सिद्धास्त, गर्वनिम जलीय सचायक और तीक्रकरपेन और थिएट पर्च टॅक और रिजवियर्स ।

भौतिकी : (कार 11)

पदार्थ के सामान्य गुण 'शार यांत्रिकी

युनिटे और बिभाए एकेलर धीर बेक्टर मालाए, जङक प्रापृण

कार्य क्रजो स्रोत सवस । याविकी के मृत्य नियम, प्रणी शीन, गुरस्थाकपंण, सरुच श्रावते शीन, सुरुच और स्थारल जालक, केंटर लोलक, प्रत्यारुधवाल-पृष्ट तनाव, द्वेय की श्यानका, शेटरी पुस्प, शिक्षाचित्र भेज।

🚉 ध्वनि 🧳

प्रविभावतः प्रणादिः। भाग मृतः। असानः, तरग गतिः, बाध्यर प्रभावः । ध्वीन तरग वेगः (कसी गैस से ध्वीन के वग पर दावः, तापमानः श्राद्वेता का प्रभावः द्वीरियों, छडा स्केटो श्रीर गैस स्वस्थों का अस्पनः श्रनुनाद विस्पेदः, स्थिर तरगः, ध्वीन का श्रावृति वेग तथा तीक्षताः स्थर अस्म, स्थापत्रकत्म से ध्वीनकताः, पराश्रव्यः कं मृत्व तस्यः, सोभोक्ति श्रोण लाउड स्थिकरो के प्रारंभिक सिद्धांतः।

3. ऋष्मा श्रीर ऋष्मा साल (पनाल

तापमान और उनका भाषत कार्याव प्रशास सेमा स समलापी तथा भ्यापम (ऐडियाबेटिक) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और उष्मा चालकता, द्रथ्य के प्रणानि सिद्धान्त के तस्य बोल्टमभन के बिनरण निरुम का भौतिक बोध तिनर बाल का प्रवस्था समीकरण चल धामपमन १५५० हैं है है है है इस्पार्थ प्रशास का भौतिक बोध अध्या उद्याप है है से स्वाप्त कार्या प्रशास कार्या कार्या प्रशास कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य

ा प्रकाश :

ज्यामितिय प्रकाशका प्रकाश का वेग, समनल श्रीर गोलीय पृष्टो पर प्रकाश का परावर्तन श्रीर श्रपवर्तन, प्रकाशीय प्रतिश्विम्बों में बोप श्रीर उनका सिवारण, नेत्र श्रीर श्रन्य प्रकाशिक यद्य प्रकाण का अरंग सिङ्कात, व्यक्तिकरण, सरल व्यक्ति करण मापी विवर्तन, विवर्तन, ग्रेटिंग प्रकाश का ध्वण, स्पेक्ट्स विज्ञान के तस्य ।

विख्न श्रौर चुम्बर्कास्व

सरल माधार्म में विद्युत श्रेष्ठ तीक्षता भ्राग विश्व का परिकलन, गाउस प्रमेय श्रीर उसके सरल अनुप्रयागः (अञ्चत माणा, विद्युत-क्षत्र के कारण, उज्जी द्वव्य के विद्युत भ्रीर चुस्वकीय गृण धर्म, हिस्टेरिशिश चुस्वकीयलता श्रीर चुस्वकीय प्रशृत्ति, विद्युत धारा से उत्पत्त चुस्वकीय क्षेत्र गूविंग मेरनेट एण्ड मूर्विंग स्वायल गर्थ्वेभोमीटिंग, तारा और प्रतिरोध का पत्यन, रिप्लिट्व गाँकट एलिसेटेंग के गुण धर्म और उनका निर्धारण, तार विद्या प्रभाव, विद्युत चुम्बकाय प्रेरण, प्रत्यावर्ती काराश्री का उत्पादन, तामफार्गर और भोटंग। इलैक्ट्रोनिक धारण और उनके सरल सनप्रयोगः।

बार के परमाण सिद्धात के तत्व । लेक्ट्रास, कथाल-२ और एक्स-२ इलेक्ट्रानिक चार्च और अरम्भात का सामत । प्राणी विज्ञान : (कोइ 13)

्रप्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, विभिन्न वर्गी के वि<mark>णिष्ट लक्षण</mark> ।

रज्जु रहित (नान-काइंट) किस्म के प्राणियों की बनावट, द्रादेते स्रौर जीवन-वृत्त

धर्माका, मलेरिया-पर जीवी । रगोज, लिक्रफ्पनृ, फीता हामि, गोल हामि, कंचुआ, जोंक, तिल चट्टा, गृह मक्खी, मण्डर, बिच्छु, ताजे पानी का मस्य, ताल थोघा, टार फिण (केवल बाह्म लक्षण) ।

कोटों का ग्राधिक महता । निम्नालाखन कीटों की परिस्थित ग्रौर जीवन अस —-

वीमक, टिही, शहुद की मक्खी शीर रेणम का की हा ।

रञ्जूकी⊸–कम, वर्गीकरण

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और धूलभात्मक शरीर—

श्रीत्किगोस्टोभा, स्कोलियोडान, मेढेक, युरोमीस्टक्स या कोई श्रन्य छिपकली (बरनस का श्रीस्थर्पजर), कब्रुवर (क्षयकृट का श्रीस्थ पजर), श्रीर खरगोण, बृहा या गिलहरी ।

मेंक्ष्क और खरगोण के संदर्भ से जन्तुकार्य के विभिन्न अंगो के ऊनक विज्ञान और जरीर क्रिया विज्ञान की प्रारंभिक जानवारी, यन्तः प्रार्थी यथिया और उनका कार्य ।

मेढक श्रीर चुल के विकास की रूप रेखा, स्तरी जन्तुओं की बनावट और कार्य ।

विकास के समान्य नियम, विविधता, श्रानुवीणकता, प्रमुक्ला, पुनरावर्तन परिकल्पना, मंदलीय प्रानुवीणकता, क्रलीसक जनन ग्रीर लैंशिक अनन की विधियां ग्रानिषेक जनन (पार्थ नोजनिसिस), कार्यानरण, वीटी एकांतरण ।

विशोष रूप मे भारतीय जन्तु समृह के संदर्भ में जन्तुको का पारिस्थितिक क्रीर भु-बैक्शनिक वितरण ।

भारत के बस्य प्राणी जिनमें। विवेले और दिषहीन भाष भी शामित है, शिकार पक्षी ।

साग भ्व

व्यक्तित्व परीक्षणः

उस्मीववार। का साक्षातकार सूर्योग्य ग्रीत निष्पक्ष विद्वानों के बीर्ड द्वारा किया जा (सा जिलके पासने उम्मीववार) का सर्वार्णण जीवन दृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि दूरा सेवा के लिए व्यक्तित की अध्य है अध्या नहीं । उम्मीववारों से आता कि जार की जार है कि के केवल अपने निद्धाध्ययन के विकेष सिपया ऐ ही सुझ-दूक के जाय र्थन न लेते हो ग्रापतु उन घटनाश्रों में सी किन लेते हो जी उनके चारों श्रीर ग्रापते राज्य या देश के सीतर ग्रीर बाहर यह रही हैं तथा आधुनिक निचारधारायों ग्रीर उन नई खोजों में किन ले जिनके प्रति एक गृणिक्षित व्यक्ति में जिज्ञाभा उत्तक्ष होती है ।

े साक्षातकार महज निरह का प्रायसा नहीं है स्रोपतृ स्थाभाविक निदेशन श्रीर प्रयोजनयुक्त वार्धालाभ की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उस्मोदवारों के मानसिक गुणी और समस्यास्रों को समझने की शक्ति की श्रिभिध्यक्त करना है, कोई द्वारा उस्मोदयारों को मानसिक सनकेता आलोचनात्मक ग्रहण शाक्त संतुनित निर्णय और मानगिक सनकेता, सामाजिक सगटन की योग्यता, चारिविक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल श्रीर क्षमता के मृत्योंकन पर विशेष बल दिया आएगा।

परिणिष्ट-II

(देखिए नियम 18)

भारतीय वन सेवा सबंधी राक्षान व्यक्ति (देखिए 18)---

(क) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी श्रवाध दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जो सकेगा। सफल अभ्योदकारी की परिवीक्षा की श्रवधि से भारत सर कर के निर्णय के यनुभार जिल्कित स्थान पर श्रीर निशिचन रोति से कार्य करना टोगा श्रीर निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगा।

- (ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवोक्षाबीन अधिकारी का कार्य या श्राचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुणल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।
- (ग) परिवीक्षा की श्रवधि के समाप्त होने पर सरकार श्रिधकारी की उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या श्रावरण सन्तीपजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की श्रवधि को, जिनना उचिन हो, बढ़ा सकती है।
- (घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की श्रपनी शक्ति किसी श्रीध-कारी को सींप रखी हो तो वह श्रीधकारी ऊपर खंड (ख) श्रीर (ग) के श्रन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- (ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के भन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है ।

(च) वेतनमान :

क्षनिष्ठ थेतनमान

कं 700-10-900-द० चें०-10-1100-50-1300

(15 वर्ष)।

वरिष्ठ वेतनमान :

(क) समय वेतनमान—कि 1100 (छटे वर्ष या उससे पहले)—50—
 1600 (16 वर्ष)

(ख्र) घयन ग्रेड

७० 1650-75-1800

वन संरक्षक

€0 1800-100-2000

उप वन संग्क्षक

(राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है)

₹ 0 2000-125/2-2250

प्रपर मुख्य बन संरक्षक

(राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है)

To 2250-125/2-2500

मुख्य वन संरक्षक

2500-125/2-2750

उप वन महानिरीक्षक

2000-125/2-2250 तथा साथ म ६० 300 प्र० सा०

विशोग वेतन ।

अतिरिक्त यन महानिरोक्षक

€0 2500-100-3000 1

वन महानिरीक्षक

₹ 3000-100-3500 1

समय गमय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार महंगाई भक्ता मिलेगा।

परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा कनिष्ठ बेसनमान में प्रारम्भ होगी और उसे परिवीक्षा पर बिताई गई अविध को समय वेतनमान में अवकाश, पेंशन या वेतनबुद्धि के लिए गिनने की अनुमित होगी।

- (छ) भविष्य निधि—भारतीय वन मैदा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।
- (ज) अयकाश---भारतीय यन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (अवकाण) नियमाथली, 1955 से शासित होते हैं।
- (ज्ञ) डाक्टरी परिचर्या---भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।
- (হা) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय वन मैवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (मृन्य वन गेत्रा नियुत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा णामित होने हैं।

परिशिष्ट III

उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(देखियं नियम 15)

यि विनियम उम्मीदघारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि व यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या मही । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के मार्ग-निर्वेशन के लिए भी हैं ।

- भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।]
- 1. नियुक्ति के लिए स्थास्थ्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद-वार का मानसिक और णारीरिक स्थास्थ्य ठीक हो और उममें कोई ऐसा शारीरिक बीप न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।
- 2. चलने की परीक्षा—पुरुष उम्मीदवारों को चार घंटे में पूर्ण होने वाली 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में पूर्ण होने वाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में मफलता प्राप्त करनी होगी। वन महानिरीक्षक, भारत सरकार हारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ-साथ हो सके।
- 3. (क) भारतीय (एंग्ला इंडियन सहित) जाति के उम्मीवनारों की आयु, कव और छाती के बेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीवनारों की परीक्षा मे मार्गवर्णन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े मबसे अधिक उपयुक्त समझें, व्यवहार में लाएं, यदि यजन, कव और छाती के बेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीववार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।
- (ख) कद और छाती के घेर के लिए कम में कम मानक निम्निसिखित हैं जिस पर पूरा न उत्तरने पर उम्मीदयार को स्वीकार नहीं किया जा सकता:

कद	छाती का घेर	—————————————————————————————————————
	(धूरा फुला कर) 	
163 सें० मी०	84 सें० मी०	5 सें० मी० (पुरुषी के लिए)
150 सें॰ मी॰	79 सें० मी०	5 सें० मी० (महिलाओं के लिए)

अनुसूचित जन जातियों तथा गारखाओं, गढ़वालियों, असमियों, नागालैंड की जन जातियों आदि के उम्मीदयारों के मामले में, जिनका औसत कद विशिष्टतयः कम होता है, कद में छूट देने फे लिए कम से कम निर्धारित मानक निम्न-लिखित हैं:—-

पुरुष 160 सें० मी० महिला 145 सें० मी०

- उम्मीदवार का कब निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा—
- बह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टेडर्क) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांच आपस में जुड़ें रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांचों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़ें। वह बिना झकड़ें सीधा खड़ा होंगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां नितस्ब और कंधे माप वण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोडी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ वी हैड लेवल) हार्जिंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए। कद मेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।
- 5. उम्मीदबार की छाती नापने का नरीका इस प्रकार है :— उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांच जुड़े हों और उसकी भुजाएं गिर से ऊपर उटी हों। कीते को छाती के गिर्वे इस सरह लगाया जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी कनारा असफलक (शोल्डर स्तेड) के निम्न कोणों (इन्कीरियर एंगस्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्वे के जाने पर उसी आड़े समनल (हारिजंटन गोन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें जगैर

के साथ लंटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं नाकि फीना अपने स्थान से ₹ट न पाए तब उम्मीदबार को कर्ष बार गहरा गौम लेने के लिए कहा जाएगा और कम मे कम और अधिक से अधिक फैलाव मेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, ८४-८९, ८६-९३.5 आदि । नाप को रिकार्ड करते समय आधे मेंटीमीटर कम के फिल्ल (फेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :--अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद कद और छाती दो बार नापने चाहिए ।

- 6. उम्मीदवार का बजन भी किया जायेगा और उसका यजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फैक्णन को नोट नही करना चाहिए ।
- उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखिन नियमों के अनुसार की जाएगी प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।
- (1) सामान्य (जनरल):—िकसी रोग या असामान्यता (एबनार्मेलिटि) का पना लगाने के लिये उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी यदि उम्मीदवार को मेंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (फंटिग्अस स्ट्रैनचर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके आयोग्य होने की संभावना हो तो उम्मीदवार का अस्थीकृत कर दिया जाएगा।
- (2) दृष्टि तीक्षणना (यिज्ञान एक्विटी)—दृष्टि की मौज़ना का निर्धारण करने के लिए दो बार जीच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरे नजदीक की नजर के लिये। प्रत्येक आखा का अलग से परीक्षा की जाएगी।

चक्ये के बिना नकर (नेकेड आईबिजन) की कोई त्यूननम सीमा'(मिनिसम लिमिट) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक मामले में मैडिकल बोर्ड या अन्य मेडीकल प्राधिकारी द्वारा उसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेणन) मिल जाण्गी।

चामों के साथ और घण्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा।

दूरकी नजर		न जदीक की न अरर
ر <u></u>	·	
अ च्छ ी आं ख	खराब आंख	अच्छी आंख वराब आंख
(ठीक की हु	ई आखे)	(ठीक की हुई आंख)
6/6	6/12 जै० I	ओं ० Ⅱ
শ		
6/9	6/9	

नोट:---

(1) फंडस परीक्षा—सायोपिया फंडस के प्रत्येक सामले में जांच करनी चाहिए और उसके निर्माणों को रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक अनस्या हो जिसके बढ़ने और उसे उम्मीदवार की कार्यकुंशलसा पर असर पड़ने की सभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए !

मायोपिया का कुल परिमाण (सिलेन्डर सहित)—4.00 डी० से नहीं बढेगा। हाइपरभेट्रोपिया (सिलेन्डर महित)—4.00 डी० से नही बढ़ेगा।

णतं यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य पाया जाये सो यह मामला तीन दृष्टि विणेषशों के विणिष्ट वोई को भेज दिया जायेगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायेगा बणतें वह अन्यथा ष्ट्रिट सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करें।

(2) कलर विजन, । (i) रंगों के संदर्भ में नजर की जांच आवस्यक होगी।

(ii) मीचे दी हुई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटन के झारा (एएचेर) के आकार पर निर्भर हो ।

प्रेड	रगके प्रत्यक्ष ज्ञान काग्रेड
. लैंग्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फੀ ਟ
e. द ्वारक (एपर्नर) का आकार	1 . 3 मीटर
3. दिखाने का समय	5 सै क न्ड

- (iii) लाल संकेत, हरे सकेत और संकेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोधजनक कलर विजन है। इणिहारा की प्लटो के ध्रस्तमाल की जिन्हें एडिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी राणनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने के लिये बिन्कुल विश्वसनीय समझा जायगा वैसे तो दोनों जांचों में किसी भी एक जांच की साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सडक, रेल और हवाई यानायात से संबंधित सेवाओं के लिये लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाल मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर आयोग्य पाया जाए तो दानों है। तरीकों से जांच करनी चाहिए।
- (3) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ निजन)—मभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कर्फ्रेट्रेशन मैथड) इं।रा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संविग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र की परमापी (पैरा मीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (4) रतींधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—फेबल विशेष सामलों की छोड़कर रतींधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतींधी या अधेरे में विखाई न देने की जांन करने के लिये कोई नियन स्टैन्डई टैस्ट नहीं है। मैडिकल बोई को ही ऐसे काम जलाऊ टैस्ट कर लने चाहिए असे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अधेरे कमरे में ले जाकर 20 30 मिनट के बाद उस विविध बीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्षणता रिकाई करना। उम्मीदवारों के अपने कथने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
 - (5) दृष्टि की नीक्षणता से भिक्ष घांख की धनस्याएं (ग्राप्युलर कंडीणत्म):
- (क) आंख को इस बीमारी को या बढ़ती हुई श्रपवर्तन वृटि (प्रोग्नेसिय रिफेक्टिब एरर) को, जिसके परिणासस्य ए दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो श्रयोग्यना का कारण समझना चाहिए।
- (ख) रोहे (देकोमा)—यदि रोहे बटिय न हों तो ये भ्रामनौर से भ्रयोग्यता का कारण नहीं होंगे ।
- (ग) भैंगापन-दिनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टन्डर्ड की दृष्टि की नीक्षणता होने पर भी शेंगापन को ब्रगोप्यता का फारण समझना चाहिए।
- (ष) एक भाष्य वाले व्यक्ति— -नियुक्ति के लिए एक श्राप्य वाले व्यक्तियों को अनुसंसा नहीं की जाती ।

८ रान्त वाव (ब्लाड प्रैशर) :

ब्लाड प्रेशर के सबंध में बोर्ड अपने निर्णय में काम लेगा । नार्पल, उच्चाम सिस्टालिक प्रेशर के श्राकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी। जासी है।

- (i) 15 में 25 वर्ष के व्यक्तियों में ग्रीमत व्लड ग्रैणर 100 + श्रायु होता है।
- (ii) 25 वर्ष से ऊपर को आय बाले व्यक्तियों में ब्लड प्रैणर के धाकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में घाघी आप जोड़ दो जाए। यह तरीका बिल्कुल मंतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर में सिस्टालिक प्रैणर को और 90 से ऊपर डायस्टालिक प्रैणर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को ग्रस्पताल में रखें। ग्रस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घवराहट (एक्साइटमेट) ऋदि के कारण ब्लड प्रैणर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (स्रौर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय की एक्स-रे स्रौर इलक्ट्रो-कार्डियाग्राफी जांच ग्रीर रक्त युरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में म्रंतिम फैंगला केवल मेडिकल वोई ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाव) लेने का तरीका :---

नियमतः पारे वाले द।वमापों, (मर्करी मेनोमीटर), किस्म का स्राला इस्तेयाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाव नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बगर्ते कि वह ग्रौर विशेषकर उसकी भुजा शिथिल ग्रौर ग्राराम से हो । कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर से कंधे तक कपड़ा उतार देना चाहिए। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से यह या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फुल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (बैकियल ब्रार्टरी) को दवा-दवा कर ढूंढा जाता है ग्रीर तब इसके उत्पर बीचों बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है। जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें धीरे धीरे हवा निकाल दी जाती है। हल्की अम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है जब स्नौर हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ ग्रौर ग्रच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं यह डास्टालिक प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि, कफ से लम्बे समय का दवाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है ग्रौर इससें रीडिंग गलत होता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरो हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़तो हैं, दाव गिरने पर ये गायब हो जाती हैं निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है। इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती

9. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मुत्र की परीक्षा की जानी चाहिए ग्रीर परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब में डिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मत में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलग्रों की परीक्षा करेगा ग्रौर मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न ग्रौर लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लुकोज मेह (ग्लाइको मूरिया) के सिवाय, ग्रपेक्षित मेडिकल फिटनेस के मटैन्डर्ड के ग्रनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमेह ग्रपूर्यमेही (नान डायविटिक) हो ग्रौर बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास ग्रस्पताल ग्रौर प्रयोगशाला की स्विधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा श्रीर ग्रपनी रिपोर्ट मैडिकल बोर्ड को भेज देंगा जिस पर मैडिकल बोर्ड की "फिट" "ग्रनिफट" की ग्रन्तिम राय ग्राधारित होगी । दूसरे ग्रवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नही होगा। ग्रीषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देखरेख मे रखा जाए।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफते या उससे ग्रधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको ग्रस्थायी रूप से तब तक ग्रस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड श्रारोग्यता का स्वस्थता प्रमाण-पत्न प्रस्तुत करने पर, प्रसृति की तारीख के 6 हक्ते बाद स्नारोग्य प्रमाण-पत्न के लिए फिर में स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए।

11. निम्नलिखित ग्रिनिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानीं से अच्छा सुन ई पटन, है या नहीं स्रीर कान की बीमारी का कोई विह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विजेषज्ञ द्वारा को जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज जल्य किया (ग्रापरेणन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्भीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य पोपित नहीं किया जा सकता वर्जा कि कान की बीसारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नितिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है :---

- (1) एक कान में प्रकट प्रथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य
- होगा । (2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र
- (3) सैन्ट्रल अथवा माजिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र।

संभव हो ।

(हियरिंग ऐंड) द्वारा कुछ मुधार

- यदि उच्च र्फाक्वैर्म। में बहरापन 30 डेमीवल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए यंग्य।
- यदि 1000 से 1900 तक की स्पीच व किनवैसी में वहात्पन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
- (i) एक कान मामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो ग्रम्थायी ग्राधार पर श्रयांग्य । कान की शल्य चिकित्सा को स्थिति मुधारने से दोनों कानों में माजिनल या श्रन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को ग्रस्थायी म्प सं अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 ।
- (ii) के ऋधीन विचार किया जा मकता है।
- (iii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य।
- (i) दोनों कानो में मैन्ट्ल छिद्र होने पर ग्रस्थायी रूप से ग्रयोग्य ।
- (4) कान के एक स्रोर से/दोनों स्रोर से मस्टायड कैविटी से मव नार्मल श्रवण:
- (i) किसी एक कान के मामान्य रूप से एक ग्रोर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य।
- (ii) दोनों ग्रोर से मस्टायड कैबिटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबेल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
- (5) बहते रहने वाला कान ग्रापरेशन
- (6) नामापट की हही मंबंधी/विाम्य-ताम्रों (बोनी ।उफामिटी) सहित ग्रथवा उसमे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलजिक दणा ।
- तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनो किया गया/विना स्रापरेशन वाला । प्रकार के कामों के लिए सम्यापी रूप से अप्रोग्य ।
 - (i) प्रन्येक भामले की परिस्थितियों के श्रनुसार निर्णय लिया जाएगा
 - (ii) यदि लक्षणो राहित नासापड ग्रफमरण विद्यमान होने पर ग्रस्थायी रूप से ग्रयोग्य ।

- (7) टासिल्म भौर/ग्रथवा स्वर यव (लेन्सि) की जीर्ण प्रवाहक दणा।
- (i) टागिल भीर/भथवा स्थप्यक्ष की जीणे प्रदाहक दणा योग्य ।
- (ii) यदि आयाज में शन्मधिक कर्जणमा विद्यमान हो तो सम्यायी रूप से प्रयोग्य ।
- (8) कान, नाक, गले (ई० टी०) के हल्के अथवा प्राप्ते स्थान पर पुर्वभ ट्युमर।
- (i) हल्का ट्यमर—-ग्रस्थायी स्टप से श्रयोग्य---
- (०) अस्टोकिलरोसिम
- (ii) दुर्दभ ट्युमर—अयोग्य । श्रवण तल की सहायता से या आपरेणन के बाद श्रवणता 30 देसीखिल के अन्दर होने पर योग्य।
- (10) कान, नाक श्रथवा गले के जन्म-जात दोष
- (i) यदिकाम काज भें बाधक न हो नो योग्य ।
- (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो श्रयोग्य ।
- (11) नेजल पोली

अस्थायी रूप से अयोग्य ।

- (ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नही हो।
- (ग) उसके दांत अच्छी हालस मे हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी हाने पर नकली दांत लगे हो या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतो को ठीक समझा जाएगा) ।
- (घ) उसकी छाती की बनाबट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफहे ठीक है या नहीं।
- (इट) उसे पेट की काई श्रीमारी है या नहीं।
- (च) उसे रपचर है या नहीं।
- (छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकाजि शिराबेरिकाजिशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।
- (ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और बिकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भाति स्वतन्न रूप से हिल्ली है या नहीं।
- (म) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।
- (জা) काई जन्मजात कुरचना यादोष है या नही ।
- (ट) उसमें किसी उग्र या जीण बीमारी के निशान है या नहीं जिससे कमजोर गठन का पता चलें।
- (ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।
- (इ) उसे काई संचारी (क्मयूनिकेबल) रोग है या नहीं।

12. दिल और फेंकडों का किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो माधारण परीक्षा से जात तहां सभी मामलों में नेमी रूप में छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जंब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण पत्न में अवस्य ही गोट किया जाए । मैडिकल परीक्षक को अपनी राप लिख देनी चाहिए कि उम्मीदबार से अवैक्षित दक्षतापूर्वक इस्टी में इसमें बाधा पटने की संभावना है या नहीं ।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं सन्देह हो जिकित्मा बोर्ड का अवश्व अम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी अय्यक्त अस्पताल के विशेषक्ष से परामर्ण कर सकता है, जैसे यदि किसी अम्मीदवार पर मानमिक बुटि अथवा विगणन (एवरणन) से पीड़ित होने का संदेह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विकानी/मनोविक्षानी से परामर्थ कर सकता है।

नोंट:---उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती हैं कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए जनकों योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टेंडिंग 3---521G1/78 मैडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपीश करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की आंच में निर्णय की गलती की संभावना के मंबंब में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के मामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मैडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेण करना चाहिए यरना दूसरे मैडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विवार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की सभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मैडिकल प्रमाण-पद्ध पेण करें तो इस प्रमाअ-पद्ध पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि हमसे संबंधित मैडिकल प्रैक्टिशनर का इस आगय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पद्ध इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मैडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित कर के अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मैडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखिन मृचना दी जाती है:—

(1) णारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टेंडर्ड मे मंबंधित उम्मीदवार की आयु और मेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइण रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विय में भर्ती के लिए योग्य नही समझा जाएगा जिसके बारे में यथा स्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइटिंग अधारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या झारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावमा हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मैडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य विरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्य होने पर समयपूर्व पैशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की मलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदयार की परीक्षा के लिए किसी लेबी डाक्टर को मैडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के ।लग् अयोग्य करार।दया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्थीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मैडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तुन ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे सामलों में जहां मैडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदबार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी विकित्सा (मैडिकस या मिकिकस) द्वारा दूरहो सकती है वहां मैडिकल बोर्ड द्वारा इस आयय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदबार को बोर्ड की राय सुचित किए जाने में कोई आपित नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे मैडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है। यदि कोई उम्मीदवार अस्थापी तौर पर अयोग्य करार विया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थापी तौर पर अयोग्य छोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्त के लिए अयाग्य है एसा निर्णय अन्तम कप से दिया जाना चाहिए।

					
(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—		10. कस औ	कहां मैडिकल बोर्ड	हुन्ना ?	,,,,,,,,,,,
अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्वे उम्मीदबार को निम्नलिखिन अपेक्षित स्टेटमेट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। तीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेनावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 1. अपना पूरा नाम लिखें			वोर्डकी परीक्षाका प्रको माल्यहो		
		मैं चोषित क सही और ठीक हैं	रताहू कि जहांतक मेः ।	रा विश्वास है ऊप	र दिए गए सभी जवाब
(साफ प्रकारों में)				5 5	
2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें			22 2		हस्ताक्षर
2.(क) क्या आप अनुसूचित जम जाति या गौरखा, गढ़ा नागालैंड जन जाति आदि में से किसी जाति से संबं औसत कद दूमरों से कम होता हैं। "हां" या '	धित है जिसका नहीं' में उत्तर	बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नोट :उपर्युक्त कथन की यथार्यता के लिए उम्मीदवार क्रिम्मेदार होगा जानवक्षकर किसी सूचना की िळपाने से यह नियुक्त खो बैंटने की जोखि लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भक्ता (सुपः एतुएशन अलाउक्स) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ ह सैंटेगा । (क)(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट			े ार किम्मेदार होगा स खोबैठने की जोखिय
दीजिए। उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का क 3. (क) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने दाली व बुद्धार, ग्रंथियां (ग्लेंड्ड) का बढ़ना या इनमें पीप	या कोई दूसरा पडना, यूक में				भी दावों से हाथ घं
खून आना, दसा, दिल की बीमारी, फेकड़ की बी दौरे रोमेटिज्म, एर्वेडिसाइटिस हुआ है ?	मारा, मूछा क				
भथवा			वेकासः मच्छा		
(छ) दूसरी काई बीमारी या दुर्बंटना जिसके कारण					
रहनापड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल भारत को/जर्द के ?	इलाज किया	कद (जूते उतारकर) थजन ग्रत्युत्तम वजन कम था वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन तापमान			
्गया हो/हुई है ? 4. आपको चेचक आदि काटीका आखिरी बार कब लगा ब	. >				
 क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से कि अधीरता (नवंसनेस) हुई ? 	सा करन का				
6. अपने परिवार के संबंध में निस्नलिखित क्यौर वें :—		(1) पूरा सांस खींचने पर(2) पूरा सांस निकालने पर			
			ात राकालगपर कोई जाहिरा बीमारी		
यवि पिता जीवित मृत्यु के समय आपके कितने भाई आप			काइ जाहरा चालारा		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	थों की मस्यु —िके — ०	3. ने व ा≔	-0C		
	बुकी है उनकी बुऔर मस्यु		बीभारी		
7. T.	काकारण	` .	·		
			विजनकाषीय		
			क्षेस्न (फील्ड झाफ कि		
		` . •	तीक्षणता (यिजुभल -	Ÿ	
		(६) फंडस	की जांच ——————————————————————————————		
	की कितनी नोंकी मृत्यु	बृष्टि की तीक्षणता	चश्मे के बिना	च ⊮में से	चरमे की पायर गोल मिलि-एक्सिस
औरस्वास्थ्यकी औरसस्युका उनकी आयुऔर हो । अवस्था कारण स्वास्थ्यकी केस	वुकी है । मृत्यु ।मय जनकी	धूर की नजर	बा० ने० बा० ने०	•	
ग्रदस्या ग्र ायु और मृत्यु कारण		पाम की नजर	वा० ने० बा० ने०		
		हाईपरमेंट्रापिया (क्यक्त)	दा० ने० साठ ने०		
		दायां का	निरीक्षण	काय	कान
 क्या इसके पहले किसी मैडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की 	8 ?				
 विश्व अपर के प्रश्न का उत्तर हां हो तो बनाइये किस सेवा 			हालत		
के लिए आपकी परीक्षाकी गई थी?		सांस के ग	त्र (रेस्पिरेटरी मिस्टम गों में किसी ग्रसमानत स्कारण स्वीटर हैं ।	तुंकापतालगा	
 परीक्षाल्ने बाला प्राधिकारी कौन था? 	*****	<u> असमानत</u>	ाकापूरास्थीस दें।		

8. परिमंचरण तंत्र (सक्येलिटरी सिस्टम)
(कं) हृदयः कोई ध्रांगिक गति (<mark>भाग</mark> ेनिक लीजन)—
गति (रेट) :
ख ड़े होने पर
कुंदाए जाने के बार्य
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद
(ख) ब्लड प्रेगरसिस्टालिक डायस्टालिक
 उबर (पेट) घेर
(क) वजाकर मालूम पड़ना/जिगर
तिस्ली
द्यूमर
(ख) रक्तार्ग
भगंबर
10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक आशक्तता का संकेत श्राशक्तका का संकेत :—
11. जाल तंत्र (सोकोमीटर सिस्टम)— की असमामता—
12. जनन मृत्र तंत्र (जैनिटी यूरीनरी सिस्टम)—हाद्द्रोसील, वरीकासोल प्रादि का कोई संकेत
मूल परीक्षा :
(क) कैसा दिखाई पड़ता है।
(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेबिटी)
(ग) एल्बुमन
(घ) भक्कर
(क) कास्ट
(च) कोशिकाएं (मेस्स)
13. छाती की एक्स-रे परीक्षा रिपोर्ट
1.4. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह भारतीय वन संवा की इ्यटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए प्रयोग्य हो सकता है।
नोट :यदि उम्मीदवार कोई महिला है भौर यदि वह 1 सप्ताह या उससे ग्राधक समय से गर्भवती है तो उसे विनियम 10 के ग्रनुसार ग्रस्यायी रूप से ग्रयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक श्रीर निरन्तर ब्यटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है।
नोट :—बोर्ड को ग्रपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गे में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना घाहिए।
(i) योग्य (फिट)
(ii) श्रयोग्य (ग्रनाफट) जिसका कारण
(iii) श्रद्रथायी आधार पर अयोग्य जिसका कारण
स्यान,
तारीख
ब्रध्यक्ष
स बस्य

सदस्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई विल्ली-110001, दिनांक 7 मा**र्च** 1979

भावेश

सं० 27(26) 79-सी० एस० 2--- कस्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उप-धारा 1 के खंड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एसद्द्वारा, कस्पनी कार्य विभाग के निरीक्षण अधिकारी श्री थी० पी० कपूर को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है।

2. केन्द्रीय सरकार, इस विभाग के दिनांक 4 अप्रैस 1978 के आवेश संख्या 27(26) 78-सी० एल०-2 के अनुसार श्री थी० पी० कपूर के पक्ष में प्रेषित पहले के प्राधिकरण को रह करती हैं।

एस० बलरामम, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

लघु उद्योग नोई

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1979

संकरप

सं० एस० एस० (II)-17(1)/78-लघु उद्योग कोई का पुनगर्टन करने के बारे में उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० एस० एस० आई०(1)-17(1) 78 विनांक 21 सितम्बर, 1978 में प्रमा संख्या० 44 से 48 तक निम्नलिखित संसद सदस्यों के नाम शामिल किए जाएं:—

- 44. श्री शरद यावब, सदस्य, लोक सभा, 136, गोल बाजार (महाकौशल बुक स्टोर) जबलपुर, मध्य प्रदेश।
- 45. श्री कि पी उन्नीकृष्णन सदस्य, लोक सभा, सी-11/30, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-1।
- 46. श्री राम सेवक हजारी, सबस्य, लोक सभा, 169, साऊष एवन्य, नई दिल्ली-11 ।
- 47. श्री जगवीम जोग्री, सदस्य, राज्य समा, 7, गुरुधारा रकाश्रगंज रोड, नई दिल्ली-1 ।
- 48. श्रीमती सरोज खापरबं, सदस्य, राज्य सभा, 100, साउच एवन्यू, नई विल्ली-11।

भावेश

आवेग विया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भजी जाए।

यह भी आवेश विया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वेसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपक्ष म प्रकाशित की जाए।

अजयदुआ, अवर स^{म्यव}

विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुविभाग

मई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 1979

स० 1/5/76-सी०टी०ई०—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 1-1-1979 से 31-7-1980 सक के लिय श्री के० डी० णर्मा, निदेशक, केन्द्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकला को चा० एस० आर० वस्तूरी, निदेशक, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बेंगलीर के स्थान पर चेयरभंन, समन्वयन परिषद, इंगीनियरी समूह के रूप में नियुक्त किया गया है। इस फलस्वरूप, डा० एस० आर० विस्तूरी का नाम और पद जो अधिसूचना कमांक 1(15) 25-सी० टी० ई० विनाक 10-8-78 की कम संख्या 6(1) क अन्तर्गन भारत के राजपत्र भाग-1, अनुभाग-1 में प्रकाणित हुआ था के स्थान पर डा० के० डी० धर्मा, विदेशक, केन्द्रीय कांच और निरेमिफ अनुस्थान संस्थान माना जाये।

सं० 1/5/76-सी० टी० ई०—सर्बसाधारण की जानवारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि प्रोफेसर एम० सन्ताया, भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्राम की नियुक्ति उपकुलपित एस० वी० विश्वविद्यालय, तिरुपति के रूप में हो जाने के फलस्बक्ष्य डा० नित्यानंद, निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को चेयरमेन, समन्वयन परियद, जीव विज्ञान समृह के रूप में मनानीत किया जाता है। डा० नित्यानद का मनीनयन प्रो० एम० सन्ताया के स्थान पर दिनोक 18-1-1979 में 17-1-1981 तक दो वर्ष की अवधि के लिये किया गया है। परिणामस्वरूप प्रोफेसर एम० सन्ताया का नाम और यद जो अधिमूचना क्रमांक-1/5/75-सी० टी० ई० और क्रमांक 1/5/76-सी० टी० ई० दिनाक 10-8-77 और 2-9-78 की क्रम सख्या 6(II) क अन्तर्गत भारत के राजपन्न भाग-1 अनुभाग-1 में प्रकाणित हुआ था, के स्थान पर डा० नित्यानंद, निदेशक, केन्द्रीय अवधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ का नाम माना जाय।

म० गो० कु० मेनन, सचिब विज्ञान और प्रौद्यागिकी विभाग

कृषि और सिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 1979

मं० 22-17/77-एल० डी॰ I—भारतीय डेरी निगम की संगम की नियमावली के नियम 15(2) द्वारा श्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, इस विभाग के संयुक्त सचिव (डेरी विकास) श्री एन० राजगोगाल को तत्काल से भारतीय डेरी निगम के निदेशकों के मण्डल में निरोशक के तौर पर नामजब करते हैं।

मं० 22-17/77-एल० डां री---राष्ट्रीय डेरी विकास बार्ड की नियमाबली के नियम 2(क) द्वाराप्रदक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रॉस्ट्रपति, इस विभाग के संयुक्त सचित्र (डेरी विकास) श्री एत० राजगोपाल की तत्काल मे राष्ट्रीय डेरी विकास बीर्ड के सदस्य के रूप में नामिल करते हैं।

आर० एस० सूद, अवर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी 1979

म० एफ० 12 5/77-ईस्क III (खेल)—-शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की दिनांक 10 जनवरी 1979 की समसंख्यक अधिसूचना के कम में श्री मनमोहन सिंह, सचिव, पंजाब सरकार, णिशा विभाग, चण्डीगढ़ को श्री ए० एस० पूनी के स्थान पर राष्ट्रीय गारीरिक शिक्षा खल संस्थानों की सोगाइटी एवं इमके णासी वीर्ड के एक सदस्य के च्या में, तत्काल से तथा 31 मई, 1979 तक नियुक्त किया जाता है।

आनंद सागर सलवार, उप मचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1979

No. 12-Pres/79.—The President is pleased to approved of the award of 'Param Vishisht Seva Medal' to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:—

- 1, Lt. Gen. Diyal Chand Sachdeva (MR 384), AVSM, AMC, (Retd.).
- Lt. Gen. Bitadavolu Durga Prasad Rao (MR 247), AMC, (Retd.).
- 3. Vice Admiral Nar Pati Datta, AVSM (00024 B).
- Air Marshal Dilbagh Singh, AVSM, VM (2998), Flying (Pilot).
- Air Marshal Idandas Warhonial Sabhaney, AVSM (2607), AE(L), (Retd.).
- 6. Maj. Gen Vijay Chander Khanna (IC 1061), Signals,
- 7. Maj. Gen. Sat Gur Payara (IC 1479), Artillery,
- 8. Maj. Gen. Satnam Singh Opal (IC 1572), Artillery.
- Maj. Gen. (Miss) Gertrude Alice Ram (NR 680881), Mns (Retd.).
- Muj. Gen. Mohan Dev Mehra (DR 10007), Army Dental Corps (Retd.).
- Maj, Gen, Mahesh Chandra Gupta (MR 419), AMC (Retd.).
- 12. Surgeon Rear Admiral General Justin Kenneth Peck (75007W).

- 43. Air Vice Marshel Harkrishan Lal Kapoor, AVSM (2165), Administrative.
- 14. Air Vice Matshal Vettakkorumakankav Sivatama Narayana, AVSM, VSM, (3549), AE(L).

No. 13-Press/79.—The President is pleased to approve of the award of the "Atı Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:—

- Brig. Edaythumangalam Narayanan Ramadoss (IC SM, Signals
- 2. Brig. Sudarshan Lal Mcthotra (IC 4789), Infantry.
- 3. Brig, Mohinder Pal Shigh Mann (IC 4907), Guards.
- Brig. Suresh Chandra Misra (IC 6309), JAG's Department,
- Brig. Saligram Gangadharashustry Krishnamurty (1C 5889), Engineers.
- 6. Brig, Arunachala Balasubramanian (IC 5062), Signals,
- 7, Brig, Nirmal Sondhi (IC 6130), Artillery.
- 8. Brig. Manohar Lal Garg (IC 9162), EME.
- 9. Brig. Francis Regis Campos (1C 5566), VSM, Madras (Retd).
- Brig Iqbal Singh Dhillon (IC 1544), Armoured Corps (Retd.).
- 11. Brig, Prithvi Raj Gulati (DR 10012) Army Dental 'Corps (Retd.).

- 12. Brig. Vasappanavara Dhruva (IC 4225), EME (Retd.).
- 13. Brig. Shiv Charan Lal Malik (IC 6324), Engineers (Retd.).
- Brig. Kunduvaia Sankaian Kutty (V 44), RVC, (Posthumous).
- 15. Commodore Kewal Krishan Nayyar (00054Y).
- 16. Commodore Om Parkesh Sharma, VSM (60029 B)
- 17. Air Commodore Mulk Raj (3518), Medical.
- Air Commodore Johney William Greene, Vr. C., VM, (4093) Flying (Pilot).
- Air Commodore Man Singh, VM, VSM (4094), Flying (Pilot).
- Air Commodore Kanwal Krishan Malik, VM (4335), Flying (Pilot).
- Air Commodore Manjeet Singh Judge, VSM (3709), Logistics.
- 22, Col. George Victor Eammanual Masilamani (1C 4522), Sikh Light Infantry.
- 23. Col. Wilbur David (IC 5110), Signals.
- Col. Mehendar Singh Sodhi (IC 4459), VSM, Guards,
- 25. Col. Satyamurty Narayan Atresh (IC 5179), Signals,
- 26. Col. Sassi Inder Singh Bal (IC 6158), Artiflery.
- 27. Col. Vidyadhar Vishnu Dhavale (IC 6246), Artillery,
- 28. Col. Ram Pal Singh (IC 5254), JAK Rifles,
- 29. Col. Ved Prokash Bhasin (IC 6903), Infantry (Retd.).
- 30. Col. Hasta Bahadur Rai (IC 4053), Infantry (Retck).
- 31. Col. Kirpal Singh Brar (IC 4099), Infantry (Retd.).
- 32. Col. Nahui Singh Rathore (IC 5125), ASC (Postlumous),
- Capt Gulab Mohanlel Hiranandani, NM, (00123 B), 1.N.
- 34. Capt. Sukhmal Jain, NM (00130 W), I.N.
- Gp. Capt. Kumarapalayam Ramasubramanyam Natarajan, VM, (4270). AE (M).
- Gp. Capt. Kshirode Krishna Sen, VM (4495), Flying (Pilot).
- Wg. Cdr. Appakudal Jayaraman Srinivasan, VSM (4933), AE (M).
- Sqn. Ldr. Sivaramakrishan Chandramouli (6571), A17 (L).

No. 14-Pres 79.—The Preident is pleased to approve of the award of the "Vishisht Seva Medal" to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order:—

- Col. Balwant Renukadas Mulay (IC 3516), AOC (Retd.).
- 2. Actg. Capt. George Kailath, NM, (00303 N). I.N.
- 3. Gp. Capt. Surya Dev Pathak (3988), Accounts,
- It. Col, Jagjit Singh Cheema (IC 6422), Armoured Corps.
- 5. Lt. Col. Baldev Singh (IC 12337). Infantry,
- 6. Lt. Col. Amarjit Singh Chahal (MR 586), AMC.
- 7. It. Col. Harkrishan Lal Kher (MR 1007), AMC.
- 8. Lt. Col. Bachan Singh Sirohi (IC 12(08), Infautry.

- 9. Lt. Col. Jawahar Lal Malhotra (IC 10109), Infantry.
- 10. Lt. Col. Ram Nath Bakshi (IC 7746), Infantry.
- Lt. Col. Punjab Singh Dhankher (IC 12135), Infantry.
- I.t. Col. Diwan Chand Saraswat (IC 12110), Raj Rifles.
- 13. Lt. Col. Virendra Singh Dogra (IC 11540), Infantry.
- I.t. Col. (Miss) Kripal Kaur Sandhu (MR 1171), AMC.
- 15. Lt. Col. Satish Chandar Taxali (IC 6652), EME,
- 16. Lt. Col. Satish Kumar Issar (JC 11535), Kumaon.
- Lt. Col. Edwin Anthony Chinnappa Naidu (IC 4546), Artillery.
- Ut. Cöl. Somar Singh Chandel (IC 12013), JAK Rifles.
- 19. Lt. Col. Sudhir Chandra Das (MR 2481), AMC.
- 20. Lt. Col, Kalyan Brata Roy (MR 780), AMC,
- 21. Lt. Col Kulbir Singh Sethi (IC 13097), Engineers.
- 22. Cdr. Sashikant Purushottam Joshi (40154H), J.N.
- 23. Cdr. Narayanan Balgopala Sarma (50128A), 1.N.
- 24. Cdr. Virendar Kumar Mohan (60056 R), I.N.
- 25. Cdr. Verghese Koithara (60086H), I.N.
- Surgeon Cdr, Praphulla Chandra Mandel (75066B), I.N.
- 27. Wg. Cdr. Satwant Singh, VM (5010), Flying (Pilot).
- 28. Wg. Cdr. Kunnathidathil Sanjeevan (5615), AE (M),
- 29. Wg. Cdi. Dev Nath Rathore, Vr.C., (5780), Flying (Pilot).
- 30. Wing Commander Yadavendra Singh (6394), AE (M).
- 31. Maj Mohan Singh Beth (IC 12634), Artillery,
- Maj. (Miss) Kamala Devi Gurung (NR 12788), MNS.
- Ma). Nripendra Nath Gupta (TA-40522), Infantry (TA).
- 34. Maj. Sona Ram Choudhary (IC 19687K), Engineers.
- 35. Maj. Lila Krishan Vij (IC 19830L), Engineers.
- 36. Sqn. Ldr. Shishir Kumor Chaturvedi (5814), Logistics,
- 37. Capt. Sudhir (IC 33195), Artillery.
- JC-37656 Resaldar Maj. Fatch Mohd. Khan, 61 Cavalry.
- 39 JC-25924 Sub. Maj. Kargut Chhospel, Ladakh Scouts, (Retd.)
- 40. JC-71117 Sub. E. G. Samuel, Signals,
- 41. IC-78445 Nb. Sub Gorripaty Jaganmohann Rao, Engineers.
- 208980 WO Krishna Iyer Narayanan Instrument Fitter (Pusihumous).
- 43. 236735 JWO Gopi Chand Chhabra, Radar Fitter.
- 283406 Corporal Chandra Mohan Pillai, Workshop Fitter (C&SMW).

K. R. GUPTA, Dy. Secy. to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMEN'T OF PERSONNEL AND ADMINISTRA-TIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 31st March, 1979

No. 17011/2/79-AIS/IV.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1979 for the purpose of filling vacancies in the Indian Forest Service are published for general information.

- 1. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.
- 2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules,

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

- 3. A candidate must be either-
 - (a) a citizen of India, or
 - (b) a subject of Nepal, or
 - (c) a subject of Bhutan, or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently setting in India.
 - Provided that a candidate, belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

- 4.(a) A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 26 years on 1st July, 1979 i.e. he must have been born not earlier than 2nd July, 1953 and not later than 1st July, 1959.
- (b) The upper age limit prescribed above will be relaxable:—
 - (i) up to a maximum of five years if a candidate be longs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
 - (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from cistwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1961 and 25th March, 1971;
 - (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person fromerstwhile East Paistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between January, 1964 and 25th March, 1971;
 - (iv) up to a maximum of three years it a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of Octo-

- (v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vi) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to Indian on or after 1st June, 1963;
- (vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;
- (viii) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;
- (ix) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;
- (x) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and
- (xi) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.
- (xii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Victnam as also a candidate holding emergency certilicate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Victnam not carlier than July, 1975.
- (xiii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Ugan, and the United Republic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;
- (c) A candidate who exceeds the prescribed upper age limit on the crucial date viz., 1st July 1979 and who was detained under the Maintenance of Internal Security Act or was arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the period of Internal Emergency between 25-6-75 and 21-3-77 on account of alleged political activities or association with crstwhile banned organisations and thus prevented from appearing at the examination while he was still within the agelimits prescribed for admission to this examination, will be eligible to appear at the examination subject to the condition that he should not have sat for i.e. (he should have foregone) the examination at least once during the period between June 1975 and March, 1977 for which he was eligible in all respects.

Note.—Under this concession, which will not be admissible for admission to any examination held after 31-12-1979, and more than one chance will be allowed.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

5. A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture or in Engineering of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

Note L.—Candidates who have appeared of an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed, of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will NOT be eligible for admission to the Commission's examination.

Note II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

- 6. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.
- 7. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, will be required to submit a 'No Objection Certificate' from the Head of their Office/Department in accordance with the instructions contained in para 2 of Annexure to the Commission's Notice.
- 8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.
- 9. No Candidate will be admitted to the examinations unless he holds a certificate of admission from the Commission.
- 10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :--
 - (i) obtaining support for his candidature by any means;
 - (ii) impersonating; or
 - (iii) procuring impersonation by any person; or
 - (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
 - (v) making statements which are incorrect or raise, or suppressing material information; or
 - (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
 - (vii) using unfair means during the examination; or
 - (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or
 - (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or
 - (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or
 - (xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period—
 - by the Commission, from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government, from any employment under them; and
- (c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.
- 11. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commis-

sion in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test;

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

12. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

- 13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.
- 14. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.
- 15. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination.

Note.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the Standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel and Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with requirements of the service

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 Kilometres in 4 hours in the case of male candidaes and 14 Kilometres in 4 hours for female candidates.

- 16 No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing; exempt any person from the operation of this rule,

- 17. Candidates are informed that some knowledge of Hinds prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.
- 18. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

K. L. NEGI. Under Secv

APPENDIX I

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Forest Service comprises:—

(A) Written examination in-

- (i) two compulsory subjects viz., General English and General Knowledge [See Sub-Section (a) of Section II below]—Maximum marks: 300
- (ii) a selection from the optional subjects set up in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section candidates must take any two of those subjects—Maximum marks: 400
- (B) Interview for Personality Test (vide Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission—Maximum marks: 200.

SECTION II

Examination Subjects

(a) Compulsory subjects vide Sub-Section A (i) of Section

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150

(b) Optional subjects vide Sub-Section A (ii) of Section I above :-

Subject	Code No	Maximum , marks
Agriculture	01	200
Botany	02	200
Chemistry	03	200
Civil Engineering	04	200
Gcology	05	200
Agricultural Engineering	06	200
Chemical Engineering	07	200
Mathematics	09	200
Mechanical Engineering	10	200
Physics	11	200
Zoology	13	200

Provided that the following restrictions shall apply to the above subjects:

- (i) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 01 and 06;
- (ii) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 03 and 07,

NOIE.—The standard and syllabl of the subjects mentioned above are give in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

- 1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH
- 2. The duration of each of the papers referred to in Sub-Sections (a) and (b) of Section II above will be 3 hours.
- 3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.
- 4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.
- 5. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.
- 6. Marks will not be allotted for mere superficial know-ledge.
- 7. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.
- 8. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Knowledge will be such as may be expected of a Science/Fngineering graduate of an Indian University,

The standard of papers in the other subjects will approximately be that of the Bachelor's degree (Pass) of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include question on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

Note.—The paper in General Knowledge will consist of objective type questions only. For details including sample questions, please see candidates' information manual at Appendix IV.

AGRICULTURE-(Code-01)

Candidates will be required to answer questions from Sections (A) and (B) or Sections (A) and (C) below

(A) Agricultural Economics

Meaning and scope of agricultural economics, significance of study and its relationship with other sciences, importance of agriculture in Indian economy, contribution to national income, comparison with other countries, study of significant

economic problem; in Indian agricultural production marketing labour, credit etc.

Nature of study of farm management, its meaning and scope, relation to other physical and social sciences, concepts and basic principles in farm management. Types and systems of farming-determining factors. Planning for profitable use of land, water, labour and equipment methods of measuring farm efficiency, nature and purpose of farm bookkeeping. Error records and accounts, financial accounting, enterprize accounting and complete cost accounting.

(B) Agronomy

Crop Production—Detailed study of KHARIF crops; Paddy, Maize, Jowar, Baira, Groundaut, Til, Cotton, Sunhemp, Moong, Urd with reference to their introduction, distribution, seedbed preparation, improved varieties sowing and seed-rate inter-culture harvesting and physical inputs of production of crops.

Detailed study of important RABI crops: Wheat, Barley, Gram, Mustard, Sugaragne, Tobageo, Berseem, with reference to their origin, history, distribution soil and climate requirements seedbed preparation improved varieties, sowing and seed-rate interculture, harvesting storing physical inputs of crops.

Weeds and Weed Control—Classification of weeds; habitat and characteristics of important weeds of India. Injurious effects and losses caused by weeds, chief agencies of weed dissemination, cultural biological and chemical control of weeds.

Principles of Irrigation and Drainage Necessity and sources of irrigation water water requirements of crops common water lifts, duty of water, prevention of wastage of irrigation water, system and methods of irrigation advantage and limitations of each method. Measurement of irrigation water. Soil moisture different forms of soil moisture and their importance. Drainage and its necessity, harm caused by excessive water methods of drainage.

(C) Soil Science & Soil Conservation

Definition of soil, its main components, soil profile, soil mineral colloids, cation exchange capacity, base saturation percentage on exchange, essential nutrients for plant growth, their forms in the soil and their role in plant nutrition. Soil organic matter, its decomposition and its effect on soil fertility. Acid and alkali soils, their formation and reclamation. Effect of organic manures, grown manures and fertilizers on soil properties. Properties of common nitrogenous, phosphatic and potassic fertilizers.

Mechanical composition and soil texture, soil pore space, soil structure, soil water, types of soil water, its retention movement, availability and measurement of soil water. Soil temperature, soil air and its importance. Soil structure, its forms and their effect on the physio-chemical properties of soil.

Soil Morehology and Soil Surveying—Farth's crust; soil forming rocks and minerals; their composition and importance in soil formation. Weathering of rocks and minerals; factors and processes of soil formation, great soil groups of the world and their agricultural importance. Study of Indian soils. Soil survey and classification.

Principles of Soil Conservation—Soil erosion, factors effecting erosion, soil conservation, soil properties in relation to agronomic and engineering practices, land drainage needs and practices for agricultural lands, land use classification. Soil conservation, planning and programme.

BOTANY—(Code—02)

- 1. Survey of the Plant Kinedom—Difference between animals and plants; Characteristics of living organism; Unicellular and multicellular organism; Viruses: basis of the division of the plant kingdom
- 2. Morphology—(i) Unicellular plants—cell, its structure and contents: division and multiplication of cells, 4—521G1/78

- (ii) Multicellular plants—Differentation of the body of non-vascular plants and vascular plants: external and internal morphology of vascular plants.
- 3. Life history.—Of at least one member of the following categories of plants!—Bacteria, cyanophyceae, Chlorophyceae, Phacophyceae, Rhodophyceae, Phycompycetes, Ascomycetes, Basidiomyceates, Liverworts, Mosses. Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms.
- 4. Taxonomy.—Principles of classification: mincipal systems of classification of angiosperms: distinctive features and an economic importance of the following families—Graminea. Schammae. Palmaceae. Liliaceae. Ormdaceae. Moraceae. Loranthaceae. Magnoliaceae. Lauraceaee Cruciferne. Rosaceae. Legummosae Rutaceae. Mellaceae, Fuphorbineceae. Ancaardiaceae. Malvaceae. Mellaceae, Fuphorbineceae. Dipterocarpaceae. Myrt.c ae. Umbeliteraiabintae. Solamaceae. Rubiceae. Cucumbitaceae. Vercanaceae and Compositae.
- 5. Plant Physiology.—Authotrophy, heterotrophy. Intake of water and nutrients, transpirations, photosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth reproduction: Plant/animal relation, symblosis, parasitism, enzymes, auxims, hormones, photopariodism.
- 6. Plant Pathology.—Cause and cure of plant diseases; Disease organisms. Viruses, deficiency disease; Disease resistance.
- 7. Plant Ecology.—The basic facts relating to ecology and plant geography, with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.
- 8. General Biology.—Cytology, Genetics, plant, breeding, Mendelism, hybridvigour, Mutation Evaluation.
- 9. Economic Botany.—Peconomic uses of plants, esp. flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber drugs and essential oils.
- 10. History of Botany.—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

CHEMISTRY—(Code—03)

1. Inorganic Chemistry

Electronic configuration of elements. Aufbau principle periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and

Flectronic Theory of valency.—Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Werner's theory of coordination compounds. Electronic configurations of complexes involved in the common metal-lurgical and analytical operations.

Oxidation, states and Oxidation number. Common oxidising and reducing agents. Ionic equations.

Lewis and Bronsted theories of acids and bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction isolation (and metallurgy) of important elements.

Structures of hydrogen peroxide diborane, aluminium chloride and the important oxyncids of nitrogen, phosphorus, chlorine and sulphur.

Inert gases: Isolation and chemistry, Principles of inorganic chemical analysis. Outlines of the manufacture of: Sodium carbonate, sodium hydrovide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial fertilizers.

- -

2. Organic Chemistry

-- .<u>----</u>- -- -

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements -inductive mesomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic Chemistry. Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes, Petroleum as a source of organic compounds, Simple derivatives of aliphatic compounds Alcohols, aldehydes, Ketones, acids, halides, esters, ethers, acid anhydrides chlorides and amides, Monobasic hydroxy, ketonic and amino acids, Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric citric maleic and furnaric acids, Carbohydrates, classification and general reactions. Glucose fractors and sucrose.

Stereochemistry: Optical and geometrical isomerism, Concept of conformation,

Benzene and its simple derivatives: Toluene, exylenes phenols, halides, nitro and amino compounds. Benzoic, salicylic cinnamic, mendelic and sulphonic acids, Atomatic aldeyhdes and ketones. Diazo, azo and hydrazo compounds. Atomatic substitution. Napthalene, pyridine and quinoline.

3. Physical Chemistry

Kinetic theory of cases and cas laws. Maxwell's law of distribution of velocities Van der Waal's equation, Law of cordesponding states. Liquefaction of gases, Specific heats of gases. Ratio of Cp/Cy.

Thermodynamics; The first law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy, Heat capacities. Thermochemistry heats of reaction, formation solution and combustion. Calculation of hond energies. Kirchhoff equation.

Criteria for spontaneous change, Second Law of Thermodynamics, Entropy, Free energy, Criteria of Chemical equilibrium.

Solutions. Osmotic pressure, lowering of vapour pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point. Determination of molecular weights in solution. As ociation dissociation of solutes.

Chemical equilibita. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier principle Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry: Unaday's laws of electrolysis; conductivity of an electrolyte; equivalent conductivity and its variation with dilution; solubility of sparingly soluble salts; electrolytic 'dissociation. Ostward's dilution hav: anomaly of strong electrolytes; solubility product strength of acids and basis; hydrolysis if salts; hydrolysis if s

Reversible cells, Standard, hydrogen and calomel electrodes. Flortrade and red-ex-potentials. Concentration cells, Determination of PH Transport number, Ionic product of water. Potentiometric tittations

Chemical Kineties: Molecularity and order of a reaction. First order and second order reactions. Determination of order of a reaction, temperature coefficients and energy of activation. Collision theory of reaction rates. Activated complex theory.

Phase rule: Explanation of the terms involved. Application to ope and two component systems. Distribution law,

Colloids: General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of menaration and properties of colloids. Coambation, Protective action and gold number. Adsorption.

Catalysis: Hemogeneous and heterogeneous catalysis, Promotors. Poisoning,

Photochemistry: Laws of photochemistry, Simple numerical problems,

CIVIL ENGINEERING—(Code—04)

1. Building materials and Properties and strength of materials...

Building materials—Timber, stone, brick, lime, tile, sand, surkhi, mortar and concrete, metal and glass—Structural properties of metals and alloys used in engineering practice-

Stresses and strains—Hooke's law—Bending. Torsion and direct streesse. Elastic theory of bending of beams maximum and minimum stresses due to ecentric loading. Bending moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. Building construction and water supply and vanitary Engineering—

Construction—Brick and stone masonry walls, floods and roofs, staircases, carpentry in wooden floors, roofs ceiling, doors and windows, finishes (plastering, pointing, painting and varnishing etc.)

Soil mechanics—Soils and their investigations. Bearing capacities and foundations of buildings and structures—principles of design.

Building estimates—Principles units of measurement: Taking out quantities for building and preparation of abstract of costs—specifications and data sheets for important items.

Water supply—Sources of water. Shandards of purity methods of purification, Jay out of distribution system, pumps and boosters.

Sanitation—Sewers, storm water overflows, house drainage requirements and appurtenances, septia tanks, linhoff tanks, sewage treatment and dispersion trenches—Activated sludge process.

3. Roads and bridges-

Survey and alignment—Highway materials and their placements, Principles of design—width of foundation and navement, camber, gradient curves and super-elevation—Retaining walls.

Construction—Farth roads, stabilized and water bound macidam roads bituminous surfaces and concrete roads. Draining of roads: Bridges—Types, economical spans, I.R.C. loadings, designing superstructure of small span bridges—Principles of designing foundation of abutments and piers of bridges, pile and well foundations.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4. Structural Engineering-

Steel structures. Permissible stresses, Design of beams simple and built-up columns and simple roof trusses and giders—column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns—Bolted; rivetted and welded—connections.

R.C.C structures—Specification of materials used—proportioning workability and strength requirement—I.S.L standards for design loads permissible stresses in R.C.C. members subject to direct and bending stresses—Design of simply supported overhanging and cantilever beams, rectangular and Tee beams in floors, roofs and lintels—axially loaded columns; their bases.

$GEOLOGY \leftarrow (Code + 05)$

1. General Geology:

Origin, are and interior of the Earth, different reclorical agencies and their effects on tonography, weathering and crossion: Soil types their classification and soil groups of India: Physiographic sub-divisions of India. Vegetation and topography. Volcannes, earthquakes, mountains, diastrophism

2. Structural Geology:

Common structure of igneous, sedimentary and metamorphic recks. Din. strike and slopes; folds feu'ts and uncon-

formities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. Crystaliography and Mineralogy:

Elementary knowledge of crystal symmetry, Laws of crystallography. Crystal habits and twinning,

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. Economic Geology:

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. Petrology:

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. Stratigraphy:

Principles of stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological records. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. Palacontology:

The bearing of palaeontological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

AGRICULTURAL ENGINEERING—(Code—06)

1. Soil and Water Conservation.—Definition and scope of soil conservation; Mechanics and types of erosion their causes. Hydrological cycle rainfull and ranoff—factors affecting them and their measurements, stream gauging—Evaluation of runoff from rainfall. Erosion control measures—Biological and Engineering.

Basic open channel hydraulic. Design of soil conservation structures—terraces, bunds, outlets and grassed waterway, principles of flood control. Flood routing. Design of farm ponds and earth dams. Stream bank erosion and its control. Wind crosion and its control. Principles of watershed management.

Investigation and planning in River Valley projects.

2. Irrigation and drainage.—Soil-water-plant relationships, Sources and types of irrigation. Planning and design of minor irrigation projects. Techniques of measuring soil moisture.

Duty of water--consumptive use. Water requirements of crops. Measurement and cost of irrigation water. Measuring devices—flow through orifices, wires and flumes Levelling and layout of irrigation systems. Design and construction of channels, field channels, specifies, head-gates, diversion boxes, structures and road crossings. Occurrence of ground water, Hydraulies of wells. Types of wells, their construction, drilling methods. Well development. Testing of wells.

Drainage - Definition-—cause of water logging, Methods of drainage. Drainage of irrigated lands, Design of surface and sub-surface systems.

- 3. Building materials—Kinds of building materials—their properties. Timber, brickwork and R. C. construction. Design of columns, beams, roof trusses, joints. Layout of a farmstead. Design of farm houses, animals shelters and storage structures. Rural water supply and sanitation.
- 4. Farm power and machinery—Construction of different types of internal combustion engines. Ignition, fuel lubricating, cooling and governing systems of IC engines. Different types of tractors. Chasis transmission and steering. Farm machinery for primary and secondary tilloge, seeding machinery.

nery, interculture tools and machinery. Plant protection equipment. Harvesting and threshing equipment, Machinery for land development, Pumps and pumping machinery.

5. Electricity and rural electrification.—Power—generation and transmission: Distribution of electricity for rural electrification; A.C., and D.C. circuits.

Uses of electric energy on the farm, Electric motors uses in agriculture—types selection, installation and maintenance.

CHEMICAL ENGINEERING—(Code—07)

- 1. Transport phenomena: (Under steady state conditions)
 - (a) Momentum transfer: (i) Different patterns of flow and their criteria.
 - (ii) Velocity profile,
 - (iii) Filtration; sedimentation; centrifuge.
 - (iv) Flow of solids through fluids.
- (b) *Heat transfer*: Different modes of heat transfer: Conduction—calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes.

Convention—different dimensionless groups used in forced and free convection. Equivalent diameter. Determination of individual and overall heat transfer coeff.

Evaporation-Radiation-Stefan-Boltzman law.

Emissirity and absorptivity, Geometrical Shape factor, Heat load of furnaces --calculation.

(e) Mass transfer: Dillusion in gases and hquids. Absorption, desorption, humidification, dehumidification, drying and distillation. Analogy between momentum, heat and mass and transfer.

2. Thermodynamics:

- (a) 1st; 2nd and 3rd Laws of thermodynamics.
- (b) Determination of internal energy, entropy, enthalpy and free energy—Determination of chemical equilibrium constants for homogeneous and hetrogeneous systems. Use of thermodynamics in cumbustion, distillation and heat transfer. Mechanism and theory of mixing, various mixers for liquid—liquid, solid liquid and solid—solid.

3. Reaction engineering:

- (i) Kinetics: Homogeneous and heterogeneous reactions.
 1st and 2nd order reactions.
 Batch and flows—Reactors and their design.
- (ii) Catalysis—Choice and catalysis;
 Preparations;
 Mechanics of catalysis based upon mechanism.
- 4. Transportation.—Storage and transport of materials and in particular, powdets, resins, volatile and non-volatile liquids, emulsions and dispersions, pumps, compressors and blowers Mixers—Mechanisms and theory of mixing various mixers for liquid—liquid; solid—liquid; solid—solid.
- 5. Materials—Factors that determine choice of materials of construction in chemical industries.—•Metals and allows, ceramics, plastics and rubbers. Timber and timber products, plywood laminates.

Fabrication of equipment with particular reference to production of vats, barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control --Mechanical, hydraulic, pneumatic, thermal, optical, magnetic, electrical and electronic instruments. Controls systems, Automation.

MATHEMATICS—(Code—09) PART A

Algebra:

Algebra of sets, relations and functions, inverse of a function, composite function, equivalence relation.

Numbers: integers, rational numbers, real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Groups, sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

De-Moivre's theorem for rational index and its simple applications.

Theory of Equations: Polynomialequations, transformation of equations, relations between roots and coefficients of a polynomial equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations, location of roots and Newton's method for linding roots.

Materices: algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants adjoint of a matrix, inversion of matrices rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknows).

Inequalities: arithmatic and geometric means, Cauchy-Schewarz inequality (only for finite sums).

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles, Ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axes). Reduction of a second degree equation to standard form, Tangents and normals.

Analytic Geometry of three dimensions—Planes, straight lines and spheres (Cartesian Co-ordinates only).

Calculus and Differential Equation ;

Differential calculus: Concept of limit; continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation. Rolle's theorem, Mean value theorem, Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomal expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms, Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asymptotic curvature (Cartesian coordinates only). Invelopes, Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus: Standard methods of integration, Reiepann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's rule for numerical integral.

Convergence of sequences and series, test of convergence of series with positive terms. Ratio, root and Gauss tests, Alternating series.

Differential Equations: Solution of standard first order differential equations. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay. Simple harmonic motion, Simple pendulum and the like.

PART B

Mechanics: (Vector methods may be used)

Statics—Representation of a force, parallelogram of forces, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces. Triangle of forces. Like and unlike parallel forces. Moments. Couples. General conditions for equilibrium of coplanar forces. Centre of gravity of simple bodies. Friction—static and limiting, friction, angle of friction, equilibrium of a particle on B rough inclined plane, simple problems, simple machines

(lever, systems of pulleys, gear). Virtual work (two dimensions).

Dynamics.—Kinematics—displacement, speed, velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration. Newton's laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse, work and energy. conservation of energy and linear monientum. Uniforms circular motion.

Astronomy:

Spherical Trigonometry.—Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles.

Spherical Astronomy—Celestial sphere; Coordinate systems and their conversion. Diarnal motion. Sitercal and solar times, mean solar time, focal and standard times, equation of time. Rising and setting of the sun and stars, dip of the horizon. Astronomical refraction. Twilight. Parallax, abberration, procession and nutation. Keplets-laws. Planetary orbits and stationary points. Apparent motion of the moon, phases of the moon. Astronomical Instruments—Sextant, transmit instrument.

Statistics

Probability.—Classical and statistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability, Random variables (discrete and continuous), density function. Mathematical expection.

Standard distributions—Binomial—definition, mean and variance, skewness, limiting form, simple applications; Poison—definition, mean and variance, additive property, fitting of Poison distribution to given data; Normal—simple properties and simple applications, litting a normal distribution to given data.

Vivariate distribution—Correlation, linear regression involving two variables fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distributions and simple tests of hypothesis: Random sample, Statistic. Sampling distribution and standard error. Simple applications of the normal, tehi2 and F distributions to testing of significance of difference of means.

Note:—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the three topics viz. (1) Algebra (2) Analytic Geometry of two and three dimensions and (3) calculus and Differential Equation. From Part B of the syllabus it will be compulsory to answer at least one question on any one of the three topics viz. (1) Mechanics (2) Astronomy and (3) Statistics.

MECHANICAL ENGINEERING—(Code—10)

1. Strength of Materials

-Stresses and strains--Hooke's Law relations between elastic constants--Compound bars in tension and compression and stresses due to temperature changes.

Bending Moment, shear force and deflection in simple supported overhanging and cantilever beams for simple loading.

Torsion in sound bars—Transmission of power by shafts—shippings.

Simple cases of combined bending and direct stresses, and combined bending and torsion.

Elastic Theory of failure-Stress concentration and fatigue.

2. Theory of Machines and Machine Designs

Relative velocities of parts in machines graphically and by calculation.

Crank effort diagram of engines—Speed-variation of flywheels. Governors. Power transmitted by belt drives— Friction and lubrication of journals and thrust bearings, ball and roller bearings. Design of fastenings and locking devices—Proportions for rivetted, bolted and welded joints and fastenings.

3. Applied Thermodynamics

Fuels Combustion—Air supply—Analysis of fuels and exhaust gases.

Boilers, Superheaters and Economisers—Boilers mountings and accessories—Boiler trial.

Physical properties of steam-Steam tables and their use.

Laws of Thermodynamics—Gas Laws—Hapansion and compression of gases—Air compressors.

Ideal and actual engine cycle—Use of temperature—entropy, heat-entropy and pressure-volume charts and diagrams.

Simple steam engines and Internal combustion engines.

Indicators and Indicator Diagrams—Mechanical, Thermal, air standard and actual efficiencies—General construction—Engine trial and heat balance.

4. Production Engineering

Common machine tools—Working principles and design features of lathes, shapers, planers, drilling machines—Milling machines—Grinding machines—Jigs and fixtures. Metal cutting ools—Tools materials—tool geometry.

Cutting forces—Abrasive wheels,

Welding—Weldability and different welding processes—Testing of welds.

Forming process—moulding, casting, forging, rolling and drawing of metals,

Mettology—Dinear and angular measurements—Limits and fits. Measurement of screws and gears—Surface finish—Optical instruments.

Industrial engineering—Methods study and work incasurement—Motion-time data—Work sampling—Job evaluation— Wages and incentives——Planning, control, Plant Inyout.

5. Fluid Mechanics and Water power

Bernoullis equation—Moving plates and vaness-Pumps and turbines. Design principles, application and characteristic curves; Principles of similarity; Governing—Hydraulic accumulators and intensifiers—Cranes and lifts—Surge tanks and Storage reservoirs.

PHYSICS—(Code—11)

1. General properties of matter and mechanics

Units and dimensions; Scalar and vector quantities; Moment of inerdia, work, energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion; Simple and compound pendulum; Katers pendulum; Elasticity. Surface tension; Viscosity of liquids, Rotary pumps; Melcod gauge.

2. Sound

Damped, forced and free vibration; Wave motion, Dopplent effect; Velocity of sound waves; Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars, plates and gas columns; Resonance; Beats; Stationary waves; Measurement of frequency, velocity and intensity of sound; Musical scales; Acoustics in architecture; Elements of ultrasonics. Elementary principles of gramophones, talkies and loudspeakers.

3. Heat and Thermodynamics

Temperature and its mesurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases; Specific heat and thermal conductivity; filements of the kinetic theory of matter;

Physical ideas of Boltzman's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thomson effect; fiquefaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem, Laws of thermodynamics and simple applications, Black body radiation.

4. Light

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their corrections; Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; simple interferometer; Diffraction; Diffraction Grating; Polarisation of light, Elements of spectroscopy.

5. Electricity and magnetism

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases, Gaus theorem and simple applications; Electrometers, Fuergy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hysterisis permeability and susceptibility; magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination; thermoelectric effects; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

ZOOLOGY—(Code 13)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure, habits, and life-history of the following non-chordate types:

Amocba, malarial parasite, a sponge, hydra, liversue, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach housesly mosquito, scorpion, freshwater mussel, pond snail and star-fish (external characters only).

Economic importance of insects. Bionomics and life-history of the following insects: termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordata up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types:

Branchiostoma; Scolidon; frog: Urmastix or any other lizard (Skeleton of Varenus); pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammaliana placenta.

General principles of evolution, variations heredity; adaptation recapitulation hypothesis, Mandelian interitance asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis, metamorphosis; alternation of generations.

Ecological and geological ditribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game Birds.

PART B

Personality Test.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidate for the Service. The candidate will be expected to have taken an intelligent interests not only in his subject of academic study but also in events which are happening around him both within and without his own tate or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth,

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the mental qualities of the candidate. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curvosity critical powers of observation and assimilation, balance of judgment and alertness of mind initiative, fact capacity for leadership; the ability for social cohesion, mental and physical energy and powers of practical application; integrity of character; and other qualities such as topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX II

(vide Rule 18)

Brief particulars (clating to the Indian Forest Service (vide Rule 18).

- (a) Appointments will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Covernment of India may determine.
- (b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is insatisfactory or shows that the is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.
- (c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him from the Service or may calend his period of probation for such further period as Government may think fit
- (d) It the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.
- (c) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in Delia or abroad either under the Central Government or under State Government.
 - (f) Scales of pay.

Junior Scale.—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (15 years).

Senior Scale:

- (a) Time Scale.—Rs. 1100—(6th year or under)—50—1600 (16 year).
 - (b) Selection Grade.—Rs. 1650 --75-1800.

Conservator of Potests. -Rs. 1800-100-2000.

Deputy Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists).—Rs. 2000—125/2—2250.

Additional Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists). -2250-125/2--2500.

Chief Conservator of Forests.--2500--125/2--2750.

Deputy Inspector General of Forests.—Rs. 2000—125/2—2250 plus a special pay of Rs. 300 p.m.

Additional Inspector General of Forests.—Rs. 2500-100-3000.

Inspector General of Forests.--Rs. 3000--100--3500.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

- (g) Provident Fund. Officers of the Indian Forest Service are governed b, the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955
- (h) Leave,--Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955.
- (i) Medical Attendance—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954
- (j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Dealth-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(vide Rule 15)

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The ergulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners

- 2. The Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board]
- 1. To be passed as lit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect lakely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.
- 2. Walking test: The male candidates will be required to qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 4 hours and remale candidates 14 kilometres to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Goyt, of India so as to synchronise with the sittings of the Medical Board.
- 3. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.
- (b) The Minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows:

Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
163 cms	. 84cms	5 cms (for men)
150 cms	. 79 cms.	5 cms (for Women)

The following minimum height standards may be allowed in case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas. Garhwalis. Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower:—

Men	160 rms.
Women	145 rms.

4 The candidates height will be measured as follows:-

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other

sides of the feet. He will stand creet without rigidity and with the heels, Calves, buttochs and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

- 5. The candidate's chest will be measured as follows:--
- He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the tame horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hane loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.
- N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.
- 6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms. fraction of half a kilogram should not be noted.
- 7. The candidate's eve-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be retorded
 - (i) General. The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sort as to render, or likely at a future date to render him unfit for service.
 - (ii) Visual struity....The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision, Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows:—

Distant Vision				Near vision			
Better eye (Corrected	-/Wors d Visio	se cye un)		•	Botter eye (Corrected	Worse eye vision)	
6/6 or				-	6/12 J·T	J·II	
6/9					6/9		
			-				

Note: -

(1) Funday Examination—In overv case of Myopia Fundus Examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, bo/she should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed -4.00D. Total amount or Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

Provided that in case a candidate is found unfit on grounds of high myopia, the master shall be referred to a special board of three opthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not. In case it is not pathological, the candidate shall be declared fit, provided he fulfils the visual requirements otherwise.

(2) Colour Vision.—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the fantern as described in the table below : --

Grade						Grade of Colour perception
1. Distance between	the I	anıp s	nd ca	endr4	tc	16 feet
2. Size of aperture						1 · 3 mm
3. Time of exposure						5 sec.

- (iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishiham's plates shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. White either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services concerned with road, rull and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubt ful cases where a candidate fails to qualify when, tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.
- (3) Field of vision.—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.
- (4) Night Plindness.—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is pre-cribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rought test, e.g. recording of visual active with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.
- (5) Ocular conditions other than visual acuity.— (a) Any organic disease or a progressive refractive error whileh is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.
- (b) Trachoma.—Trachoma, unless complicated, shall not ordinarily be a cause for disqualification.
- (c) Squint —As the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of the prescribed standard should be considered as a disqualification.
- (d) One-cycd persons.—The employment of one-cycd individuals is not recommended.

8. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows:—

- (i) With young subjects 15-25 years of age the average is about 100 plus the age.
- (ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 144 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature—due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocradiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the

patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cull should be freed from the clothes to the shoulder. The cull completely defiated should be applied with the middle of the tubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial intery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to mercase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff in irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, it necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level.

(This 'Silent Gap' may cause error in reading),

- 9. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board lands sugar present in a candidate's urine by he usual chemical test the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosin in the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitters required the man appear the for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will have its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.
- 10. A woman candidate who as result of tests is found to be pregnunt of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medi-cal certificate of fitness from a registered medical practitioner.
 - 11. The following additional points should be observed:-
- (a) that the candidate's hearing in each ear is good und that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the car specialist: provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard:
- or total doafness (1) Market in one car, other our being normal.
- (2) Perceptive both ears in which some improvement is possible by a hearing nid.
- (3) Perforation of tympanic membrano of central or marginal type.

Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.

definess in Fit in respect of both techgnical and non-technical jobs if the deafness in the deciness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.

> (i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit.

> Under improved conditions of Eur Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be cor sidered under 4 (li) below.

- (ii) Marginal or attic perforation in both e'rs-Unfit.
- (iii) Central perforation both cars-Temporarily uufit.
- (4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.
- Either Oar normal Jaring other Mistoid of for hearing toid civity, Fit for and non-technical jobs.
- Mistoid cavity both sides. for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibles in either ear with or without hearing aid.
- (5) Persistently discharging eur operated/unoperated

Temporarily Unfit for both technical and nontechnical jobs.

- Chronic inflammatory/ allergic condition nose with or without bony deformitie of nosal septum.
- decision will be taken as per circums-tance of individual cases.
- deviated nasal Septum is present symptoms-Temporarily unfit.
- (7) Chronic inflamm tory conditions. of tonsils and/or Larynx
- Chronic influmn)tory condition of tonsils and/or H1ryan→Fit
- (ii) Hoursenass of voice degree it Temsevero present then porarily unfit.
- Benign or locally Malig- (i) Benign tumours-Tommint tumours of the ENT
 - porarily unfit.
 - Mulignant Tumours Unfil.
- Otosolerosis

If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid →Fit.

- (10) Congenital defects of ear, norse or throat;
- (i) If not interfering with function -Fit.
- Stuttering of degree-Unfit. seVere
- (11) Nasal Poly

Temporarily Unfit.

- (b) that his/her speech is without impediment;
- (c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound):
- (d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound:
- (e) that there is no evidence of any abdominal disease;
- (f) that he is not ruptured;
- (g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of vericose veins or piles;
- (h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;
- (i) that he does not suffer from any inveterate skin disease:

- (j) that there is no congenital malformation or defect.
- (k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.
- (1) that he bears marks of efficient vaccination; and
- (m) that he is free from communicable disease.
- 12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether of the duties which will be required of the candidate.

or not it is likely to interfere in the efficient performance

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psycologist, etc.

Note—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine their fitness for the ubove services. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the accision of the first Board, the certificate will not be taken into consdictation unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner:—

- 1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.
 - No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be that he has so disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service
 - It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of permature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.
 - A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.
 - The report of the Medical Board should be treated as
 - In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.
 - In case where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government

- service can be cured by a treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board' opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.
- In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.
- (a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below:—

- 1. State your name in full (in block letters)
- 2. State your age and birth place.....
- 2. (a) Do you belong to Scheduled Tribes or to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assumese Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly, lower? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the tribe/race.
- 3. (a) Have you ever had smallpox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease. lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicitis.

OR

- (b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment?
- 4. When were you last vaccinated?
- 5, Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause?.....
- Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age at living and state of health death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of dead, ages at and cause of death	brothers their of
--	--	---	----------------------

Mother's age if living and state of	Mother's age at death and cause of	No. of sisters living, their ages		sisters their of id of
health	death	and state of health	death	

7. Have you been examined by a Medical Board before?

8. If answer to the above is, Yes please state what Service/Services	8. Circulatory System :
you were examined for?	(a) Heart; Any organic lesions?
9. Who was the examining authority?	Standing
10. When and where was the Medical,	After hopping 25 times
Board held?	2 minutes after hopping (b) Blood Pressure: Systolic Diastolic
11. Result of the Medical Boards' examination, if communicated to you or if known	9. Abdomen: Girth Tenderness
I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.	(a) Palpable LiverSpleen Kidneys Tumours
Signed in my presence,	(b) Heamorrhoids Fistulia
Candidate's Signature.	10. Nervous System Indication of nervous or mental disability
Signature of the Chairman of the Board.	ability
Note:—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information will incur the risk of losing the appoint-	12. Genito Urinary System Any evidence of Hydrococele Varicocele etc. Urine Analysis:
ment and if appointed of forfeiting all claims to Superannua- tion Allowance or gratuity.	(a) Physical appearance
(b) Report of Medical Board on (name of candidate)	(b) Sp. Gr
physical examination.	(c) Albumen
1. General development; Good Fair	(d) Sugar
Nutrition: Thin AverageObese	(f) Cells
Height (Without shoes)	13 Papart of Village Day
Best Weight	Chest.
in weight?Temperature	14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him
Girth of Chest.	unt for the efficient discharge of
(1) (After full inspiration)	his duties in the Indian Forest Service?
(2) (After full expiration)	Note.—In case of a female candidate, if it is found that
Skin: Any obvious disease	declared temporarily unfit, vide Regulation 10,
3. Eyes :	15. Has he been found qualified in all respects for the efficient and conti-
(1) Any disease	nuous discharge of his duties in the Indian Forest Service?
(2) Night blindness	Note:—The Board should record their findings under one
(4) Field of vision	of the following three categories?
(5) Visual acuity	(i) Fit (ii) Unfit on account of
(6) Fundus Examination	(iii) Temporarily unfit on account of
Acquity of vision Naked cye With Strength of	Place
glasses glass sp. Cyl. Axis.	Date
Distant vision R.E. L.E.	Chairman
Near vision R.E. L.E.	MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
Hypermetropia R.E. L.E.	(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
(manifest) L.E.	New Delhi-1, the 7th March 1979
(magnest) D.D.	ORDER
4. Ears: Inspection	No. 27(26)79-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of subsection I of section 209A of the Companies Act, 1956 (I of 1956) the Central Government hereby authorises Shri V, P. Kapoor, Inspecting Officer, in the Department of Company
5. Glands Thyroid	Affairs, for the purposes of the said section 209A.
6. Condition of teeth	2. The Central Government hereby revokes the authorisation issued in favour of Shri V. P. Kapoor vide this Department's order No. 27(26)79-CL.II dated 4th April, 1978.
If yes, explain fully	S. BALARAMAN, Under Secy.
y y	

MINISTRY OF INDUSTRY SMALL SCALE INDUSTRIES BOARD

New Delhi, the 14th February 1979

RESOLUTION

No. SSI(1)-17(1).78.—In the Ministry of Industry Resolution No. SSI(1)-17(1)/78 dated 21st September, 1978 reconstituting the Small Scale Industries Board against Sl. No. 44 to 48, the names of the following members of Parliament may be incorporated.

- Shri Sharad Yadav, Member Lok Sabha,
 Gole Bazar,
 (Mahakoushal Book Store),
 Jabalpur, M.P.
- Shri K. P. Unnikrishnan, Member Lok Sabha, C-11/30, Tilak Marg, New Delhi-1.
- Shri Ram Sewak Hazari, Member Lok Sabha, 169, South Avenue, New Delhi-11.
- 47. Shri Jagdish Joshi,Member Rajya Sabha,7, Gurdwara Rekhabganj Road,New Delhi-1.
- Smt. Saroj Khaparde, Member, Rajya Sabha, 100, South Avenuc, New Delhi-11.

ORDER that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY DUA, Under Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 3rd March 1979

No. 1/5/76-CTE.—It is notified for general information that consequent upon the appointment of Prof. M. Santappa, former Director, Central Leather Research Institute, Madras as Vice-Chancellor, S. V. University, Tirupati, Dr. Nitya Nand, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow, has been nominated as Chairman, Coordination Council, Biological Sciences Group for a period of two years with effect from 18-1-1979 to 17-1-1981 in place of Prof. M. Santappa. Consequently the name and designation of Prof. M. Santappa appearing under Serial No. 6(ii) of

Notification No. 1/15/75-CTE and No. 1/5/76-CTE dated 10-8-1977 and 2-9-1978 published in Part I Section I of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Dr. Nitya Naud, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow.

No. 1.5/76-CTE.—It is notified for general information that Shri K. D. Sharma. Director, Central Glass & Ceramic Research Institute, Calcutta, has been appointed as Chairman, Coordination Council, Engineering Sciences Group with effect from 1-1-1979 to 31-7-1980 in place of Dr. S. R. Valluri, Director, National Aeronautical Laboratory, Bangalore. Consequently the name and designation of Dr. S. R. Valluri appearing under Seriol No. 6(i) of Notification Nos. 1/15/75-CTE and No. 1/5/76-CTE dated 10-8-1978 published in Part I Section 1 of the Gazette of India be and is hereby replaced with that of Shri K. D. Sharma. Director, Central Glass & Ceramic Research Institute. Calcutta.

Sd/- I(.I.FGIBLE Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 5th March 1979

No. 22-17/77-LDI.—In exercise of the powers conferred by Article 15(2) of the Articles of Association of Indian Dairy Corporation, the President is pleased to nominate Shri N. Rajagopal, Joint Secretary (Dairy Development) in this Department as a Director on the Board of Directors of the Indian Dairy Corporation with immediate effect.

No. 22-17/77-LDL—In exercise of the powers conferred by Rule 2(a) of the Rules and Regulations of the National Dairy Development Board, the President is pleased to nominate Shri N. Rajagopal, Joint Secretary (Dairy Development) in this Department, as a Member of the National Dairy Development Board, with immediate effect.

R. S. SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th February 1979

No. F.12-5/77-Desk-III(Sports).—In continuation of the Ministry of Education and Social Welfare Notification of even number dated the 10th January, 1979, Shri Manmohan Singh, Secretary to Government of Punjab. Education Department, Chandigarh is hereby appointed as Member of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports and of its Board of Governors, with immediate effect and upto the 31st May, 1979 Vice Shri A. S. Pooni.

A, S. TALWAR, Dy. Secy.